अध्याय-II माल एवं सेवा कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं से संबंधित कानूनों के अंतर्गत देय माल एवं सेवा कर/मूल्य परिवर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का प्रमुख होता है और 25 अतिरिक्त आयुक्त, 47 उपायुक्त, 92 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 414 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक वित्तीय सलाहकार कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। संबंधित कर कानूनों और नियमों को प्रशासित करने के लिए उन्हें कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य संबद्ध कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2021-22 के दौरान, विभाग ने पिछले वर्षों से संबंधित 288 प्रकरणों में ₹ 6.69 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसके समक्ष विभाग ने 265 प्रकरणों में ₹ 4.91 करोड़ वसूल/समायोजित किये।

2021-22 में, वृत्त (लेखापरीक्षित इकाई) स्तर पर सामान्य जोखिम मूल्यांकन के बजाय, जीएसटी के तहत लेखापरीक्षा एक डेटा आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से की गई थी जो पंजीयन, रिफंड, विवरणी जांच, ट्रांजिशनल क्रेडिट इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अधिक व्यापक विषय-वस्तु जोखिम मूल्यांकन प्रदान करती है। इसलिए, विशिष्ट विषय के लिए उच्च जोखिम वाले लेनदेन/मामलों को वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में भौतिक सत्यापन हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से केंद्रीय रूप से चयनित किया गया हैं।

इस नई कर व्यवस्था के तहत कर अनुपालन के लिए विभाग के नियंत्रण और निरीक्षण तंत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए 2021-22 में 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) की गयी।

'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर एसएससीए से संबंधित निष्कर्षों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3 जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कई करों का स्थान ले लिया हैं। जीएसटी, जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र और राज्य द्वारा एक साथ समान कर आधार पर जीएसटी आरोपित किया जाता हैं। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) राज्य के भीतर आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है, और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतरराज्यिक आपूर्ति पर आरोपित किया जाता हैं।

सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 59 जीएसटी को एक स्व-मूल्यांकन-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके तहत कर दायित्व की गणना, गणना किये गये कर दायित्व की अदायगी और रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। जीएसटी रिटर्न सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल की जानी अनिवार्य हैं, अन्यथा शास्ति का भुगतान देय होगा। यहां तक कि अगर किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय पर कोई कर दायित्व नहीं है, तो भी उसे अनिवार्य रूप से 'शून्य' रिटर्न दाखिल करनी होगी। इसके अलावा, एसजीएसटी/सीजीएसटी नियमों के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 निर्धारित करती है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की जांच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों की सूचना दे सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी प्रणाली के तहत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख थी। जीएसटी के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थीः-

- क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर एक प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था तथा करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- क्या वृतों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

2.3.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में करदाताओं द्वारा की गयी अनुपालना की जांच, जांच प्रक्रिया और पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न पर बाद में विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही शामिल थी।

इसके अतिरिक्त, एसएससीए में वर्ष 2017-18 के लिए करदाताओं के नमूने के अभिलेखों की समीक्षा शामिल थी। इस एसएससीए के कार्यक्षेत्र में चयनित वृत्तों के कार्यों का मूल्यांकन भी सम्मिलित था।

विवरणियों की संवीक्षा एवं करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा की अवधि जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक थी तथा चयनित वृत्तों की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा अवधि 2017-18 से 2020-21 तक थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं नमूना चयन

योजना बनाने के साथ-साथ मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस एसएससीए के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचान किए गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे एवं विभागीय परिसर में करदाता के अभिलेखों की जांच शामिल थी; तथा वृत्तों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों की एक नमूना लेखापरीक्षा शामिल है।

(i) **भाग I– वृत्तों की लेखापरीक्षा**

निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित एक से अधिक मामलों के नमूनों का क्षेत्राधिकार वाले 21 वृतों को वृतों के नमूने के रूप में माना गया था।

(ii) **भाग II– केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा**

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जीएसटी विवरणी डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी जीएसटी विवरणी के बीच नियम-आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों की पहचान 13 मापदंडों के एक समूह, जैसे कि वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच, ब्याज का कम भुगतान, आईटीसी का मिसमैच इत्यादि, पर की गई थी। तदनुसार, विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च मूल्य या उच्च जोखिम विचलन एवं विवरणियों के बीच विसंगतियों के आधार पर इस एसएससीए के तहत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 628 करदाताओं का चयन किया गया था। करदाता के अभिलेखों की आगे जांच किए बिना लेखापरीक्षा आक्षेपों को संबंधित निर्धारण वृत्तों को जारी किया गया था।

(iii) **भाग III– विस्तृत लेखापरीक्षा**

लेखापरीक्षा ने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 100 प्रकरणों का चयन किया, जिसमें निर्धारण वृत्तों के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र का दौरा शामिल था। करदाताओं द्वारा कर-अनुपालना की सीमा के मूल्यांकन के लिए करदाताओं के अभिलेखों जैसे विवरणी एवं संबंधित संलग्नक और सूचना को वृत्तों के माध्यम से

एक्सेस किया गया था। लेखापरीक्षा ने बैक-एंड सिस्टम (जैसे पंजीयन, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्यों) में करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों की जांच करने के लिए अधिकतम संभव सीमा तक प्रदान की गई एसएसओआईडी का उपयोग किया। संबंधित निर्धारण वृत्तों के माध्यम से करदाताओं से चालान आदि जैसे संबंधित विस्तृत अभिलेख तक पहुंचने का प्रयास किया गया।

इस एसएससीए पर परिचयात्मक बैठक 24 दिसंबर 2021 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार तथा राज्य सरकार व विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा 24 नवंबर 2022 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, मुख्य राज्य कर आयुक्त और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचार एवं प्रारूप अनुच्छेद पर प्राप्त लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया हैं।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड़

लेखापरीक्षा मानदंड़ के स्रोत में सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम शामिल थे। इसके अलावा, राज्य कर विभाग द्वारा विवरणी दाखिल करने, विभिन्न विवरणी दाखिल करने की प्रभावी तारीखों को अधिसूचित करने, विवरणी दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, माल और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने इत्यादि के संबंध में जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, विवरणी की जांच एवं कर-अनुपालन की निगरानी तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जिसमें विवरणी दाखिल करने, विवरणी की जांच करने, पंजीकरण को रद्द करना तथा विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) की रिपोर्ट का सत्यापन करने इत्यादि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को दिए गए निर्देश आदि भी लेखापरीक्षा मानदंड में सम्मिलित किये गये।

2.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष- विभाग का अनुपालना सत्यापन तंत्र (पार्ट-I)

वृत्तों की भूमिका करदाताओं द्वारा घोषित कर योग्य मूल्य की यथार्थता, कर देनदारियों की गणना और भुगतान, विवरणी दाखिल करने आदि के संबंध में अनुपालना सुनिश्चित करना है। वृत्तों के पास इस संबंध में प्रयोग किए जाने वाले कार्यों का एक विस्तृत समूह है, जिनका मूल्यांकन इस एसएससीए के एक भाग के रूप में किया गया था।

चयनित वृत्तों के कार्यों के मूल्यांकन के लिए, चार संभावित लेखापरीक्षा क्षेत्रों की पहचान की गई थी यथा (i) जांच और मूल्यांकन की प्रभावशीलता (ii) विलम्ब से दाखिल करने वालों एवं गैर-दाखिलकर्ताओं पर कार्यवाही (iii) डीजीएआरएम प्रतिवेदन एवं इसी तरह के विभागीय प्रतिवेदनों की अनुपालना (iv) रद्द पंजीकरण। तदनुसार, चयनित 21 वृत्तों से 2017-18 से 2020-21

की अवधि के लिए संबंधित अभिलेख और जानकारी मांगी गई थी। तथापि, इनमें से 17 वृत्तों ने अपेक्षित अभिलेख और सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा इन वृत्तों के कार्यों का मूल्यांकन उपरोक्त मापदण्डों पर नहीं किया जा सका।

ध्यान में लाए जाने पर, इन 17 वृत्तों[1] के क्षेत्राधिकारियों ने उत्तर दिया (मई से अगस्त 2022 के मध्य) कि दिनांक 01 नवम्बर 2021 को विभाग में पुनर्गठन होने के पश्चात् वृत्त अस्तित्व में आए तथा जीएसटी बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध एमआईएस मॉडल से आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है कि पुनर्गठित वृत्तों सहित वृत्तों से संबंधित बुनियादी जानकारी की उपलब्धता, क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक और निगरानी कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए ऐसी जानकारी जीएसटी बैक एंड पर पहले से ही उपलब्ध है, तथापि, आवश्यक एमआईएस की अनुपस्थिति के कारण किसी विशेष वृत्त की सूचना को समेकित तरीके से नहीं देखा जा सकता है। विभाग को माह मई 2022 और जून 2022 में भी इसकी सूचना दी गई थी। विभाग ने प्रतिउतर दिया (सितंबर 2022) कि प्रकरण जीएसटीएन के साथ उठाया जा रहा है।

प्रकरण पुनः विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर, दिसम्बर 2022 एवं जनवरी 2023) एवं समापन परिचर्चा (नवम्बर 2022) में चर्चा की गयी। यद्यपि, सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ठोस प्रयासों की जानकारी नहीं दी गई।

अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेखापरीक्षा, वृत्तों के निगरानी कार्यों पर आश्वासन प्रदान नहीं कर सकी।

2.3.6.1 विवरणियों की जांच की धीमी गति

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, उचित अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उनकी जांच की जानी चाहिए और विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या अनियमितताओं पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए नामित उचित अधिकारी वृत्ताधिकारी है। इसके अलावा, आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि विसंगतियां, यदि कोई हो तो, करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

विभाग द्वारा परिपत्र सं. एफ.17 (151) एसीसीटी/जीएसटी/2017/7602 दिनांक 07.01.2022 के माध्यम से एकरूपता सुनिश्चित करने तथा अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जांच-कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए विवरणियों की जांच पर विस्तृत दिशानिर्देश/एसओपी जारी की और एक बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) का गठन[2] किया

1 वृत्त-सी, एच, आई जयपुर-I, सी, डी, एच जयपुर-II, सी जी, आई जयपुर-III, ए,एफ जयपुर-चतुर्थ, बी, डी, ई कोटा, ई जोधपुर-I, डी जोधपुर-II एवं निम्बाहेड़ा।

2 दिनांक 24.09.2021 को।

गया। इससे पहले जांच प्रक्रिया को मानकीकृत नहीं किया गया था तथा फरवरी 2020 में जारी निर्देशों के आधार पर बहुत सीमित तरीके से जांच की जाती थी।

अधिनियम की धारा 61 के तहत बीआईयू, विवरणियों की जांच के लिए प्रकरणों का चयन जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति (आरटीपी) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर करता है, जो जीएसटीआर–9[3]/जीएसटीआर-3बी[4] की तुलना में जीएसटीआर-1[5] में अधिक निर्गत कर और जीएसटीआर-9 में आरसीएम देयता को जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ता द्वारा दिखाए गए से कम दिखाया जाना इत्यादि जैसे 12 जोखिम मापदंड़ों पर आधारित है। बीआईयू मुख्य आयुक्त राज्य कर से अनुमोदित चिन्हित आर टी पी की सूची प्राप्त करता है तथा इसे संबंधित संभाग को प्रेषित करता है जो उन्हे संबंधित आरटीपी पर क्षेत्राधिकार वाले उचित अधिकारियों को वितरित करता हैं। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि संवीक्षा का विवरण उचित अधिकारी द्वारा विवरणी संवीक्षा रजिस्टर में रखा जाएगा और इस संबंध में मासिक विवरण संबंधित अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) के माध्यम से विशेष आयुक्त (एमईए) को प्रस्तुत किया जाएगा।

एसएससीए के दौरान, बीआईयू द्वारा जोखिम मापदंडों के आधार पर चिन्हित किये गए उच्च जोखिम वाले करदाताओं की जानकारी तथा वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान विवरणियों की जांच की क्रियाविधि की लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सितंबर 2021 में बीआईयू के गठन के बाद, इकाई ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित 9,288 उच्च जोखिम वाले करदाताओं को जांच के लिए चयनित किया। इनमें से केवल 2,535 मामलों (27.29 प्रतिशत) की अगस्त 2022 तक जांच की गई थी। यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा विवरणियों की जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत विभाग द्वारा इन 9,288 चिन्हित करदाताओं की जांच के लिए प्राथमिकता हेतु कोई मापदंड निर्धारित किया गया था।

उचित अधिकारी द्वारा विवरणी संवीक्षा रजिस्टर के संधारण तथा इसको उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करने के संबंध में, लेखापरीक्षा को क्योंकि रिकॉर्ड प्रस्तुत/प्रदान नहीं किये गए थे अतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इसका संधारण किया गया था एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया गया था।लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि बीआईयू की स्थापना में देरी के साथ-साथ विवरणियों की जांच की धीमी गति के कारण, दिसंबर 2023[6] तक कालातीत हो रहे

3 जीएसटीआर-9 एक वार्षिक विवरणी है जिसे जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से दाखिल किया जाता है।

4 जीएसटीआर-3बी एक मासिक विवरणी है जिसमें घोषित आईटीसी के साथ बाहरी आपूर्ति का सारांश तथा कर का भुगतान करदाता द्वारा स्व-घोषित किया जाता है।

5 जीएसटीआर-1 माल या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति के मासिक विवरण को दर्शाता है।

6 राजस्थान सरकार के अध्यादेश सं.- एफ.12 (11) एफडी/कर/2023/07 दिनांक 01.04.2023।

मामलों में अनुपालना नही करने वाले करदाताओं के विरूद्ध आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत कार्यवाही करने की समय-सीमा कम हो रही है ।

चार वृत्तों[7] से संबंधित 82 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2022-जनवरी 2023), जिनमें उपरोक्त धारा के तहत विभाग द्वारा विवरणियों की संवीक्षा की गई थी, में पाया गया कि विभाग के संबंधित वृत्तों[8] द्वारा 31 प्रकरणों में विवरणियों की संवीक्षा के लिए निर्धारित 12 मापदण्डों में से चार मापदण्डों[9] को ध्यान में नहीं रखा गया था। परिणामस्वरूप, 13 प्रकरणों में जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के बीच ₹ 0.09 करोड़ की राशि का आईटीसी मिसमैच, एक प्रकरण में ₹ 0.06 करोड़ की आईटीसी के रिवर्सल का अभाव, सात प्रकरणों में ₹ 0.12 करोड़ की कर देयता का कम आरोपण और 10 प्रकरणों में ₹ 0.01 करोड़ की राशि के ब्याज का कम/गैर-भुगतान, इस प्रकार वृत्तों द्वारा कुल ₹ 0.28 करोड़ की जांच नहीं की गई।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2023) कि 11 प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया जा चुका है जबकि 20 प्रकरणों में संबंधित वृत्ताधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है । तथापि, उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि इन चार मापदंडो को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया । आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024) ।

सिफारिशः 1. विभाग समयबद्ध तरीके से विवरणी की जांच सुनिश्चित करने के लिए समय–सीमा निर्धारित कर सकता है और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर सकता है । विभाग ऐसी जांच के लिए जोखिम–आधारित दृष्टिकोण का उपलब्ध संसाधनों/क्षमता के साथ उपयोग करके जांच के लिए चिन्हित किये गए प्रकरणों की संख्या को बेहतर ढंग से संरेखित कर सकता हैं।

2.3.6.2 कर प्राधिकारियों द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा में विलम्ब करना

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के प्रावधानानुसार, आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाये, में लेखापरीक्षा कर सकेगा । सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) के अनुसार लेखापरीक्षा से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उस समय प्रभाव में थी, के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संधारित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित टर्न ओवर, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए रिफंड और उपभोग किए गए आगत कर की सत्यता को सत्यापित करने और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रावधानों के अनुरूप उसके अनुपालन को निर्धारित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है ।

7 वृत्त जे जयपुर-I, ए जयपुर-III, ए तथा एच जयपुर-चतुर्थ ।

8 वृत्त-जे जयपुर-I, ए व एच जयपुर-चतुर्थ ।

9 आईटीसी का आधिक्य, ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, कर-दायित्व का भुगतान नहीं किया जाना तथा आईटीसी का रिवर्सल ।

वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान ने राजस्थान माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली (आरजीएसटीएएम) 2020 में लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी की, जिसमें बीआईयू/बीआईएफए[10] द्वारा चिन्हित किए गए करदाताओं, स्थानीय खुफिया जानकारी, रद्द करदाताओं से खरीद इत्यादि जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए करदाताओं के चयन हेतु नए मानदंडों की प्रक्रिया शामिल थी। इसमें उल्लेखित किया गया है कि लेखापरीक्षा किए जाने वाले करदाताओं का चयन मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार[11] ने वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन करते हुए (सितंबर 2021) लेखापरीक्षा विंग को सुदृढ़ किया और तीन स्तरीय बिजनेस लेखापरीक्षा तंत्र बनाया। जोखिम मापदंडों के आधार पर आवंटित बड़े जटिल मामलों की जांच राज्य स्तर तथा संभाग स्तर की टीमों के द्वारा की जानी थी। शेष मामलों का निपटारा वृत्त स्तर पर किया जाना था।

जीएसटी के अन्तर्गत 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा की गई बिजनेस लेखापरीक्षा का विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया हैः-

तालिका 2.1

विभाग द्वारा की गयी जीएसटी बिज़नेस लेखापरीक्षा का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	वर्ष जिसके दौरान लेखापरीक्षा की गई	कुल करदाताओं की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चयनित[12] करदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)	वास्तविक संख्या जिनमें लेखापरीक्षा पूर्ण की गई (नवम्बर 2022 तक)	प्रकरणों की संख्या जिनमें कमियां पाई गईं	कमियों में सम्मिलित कुल राशि	कुल वसूली
2017-18	2021-23	6,52,813	660 (0.1 प्रतिशत)	655	**633**	**308.10**	**17.16**
2018-19	2022-23	7,82,564	4938 (0.63 प्रतिशत)	239	**236**	**3.75**	**2.91**

स्रोतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लिए बिजनेस लेखापरीक्षा अभी तक शुरू होनी थी। 2017-18 के चिन्हित सभी प्रकरणों की भी लेखापरीक्षा नहीं की गई है जबकि 2018-19 के पांच प्रतिशत से कम प्रकरणों की विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

उक्त धारा के तहत चार वृत्तों[13] से संबंधित बिजनेस लेखापरीक्षा के 31 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2022-जनवरी 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये विस्तृत अभिलेखों के आधार पर यह देखा गया कि विभाग ने दो मामलों में ₹ 0.25 लाख की कम/अनारोपित कर देयता की पहचान नहीं की और एक मामले में विभाग कर के विलंबित

10 जीएसटीएन का बिजनेस इंटेलिजेंस एडं फ्रॉड़ एनालिटिक्स।
11 आदेश संख्या एफ.9(3) एफडी/टैक्स/2020 दिनांक 24.09.2021 के द्वारा।
12 आरजीएसटीएएम में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अधिकतम सीमा कुल करदाताओं का 5 प्रतिशत है।
13 वृत्त जे जयपुर-I, ए जयपुर-III, ए तथा एच जयपुर-चतुर्थ।

भुगतान पर ब्याज ₹ 0.28 लाख की राशि की वसूली नहीं कर सका । इसके अलावा, 13 मामलों में विभाग ने सूचित किया था कि इन मामलों में आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली गई थी, तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि संबंधित वृत्तों के उचित अधिकारियों द्वारा अंतिम कार्यवाही की जानी शेष थी।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्ताधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

सिफारिशः 2. विभाग को शेष लेखापरीक्षा करने के लिए शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के खिलाफ समय पर कार्यवाही शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, की जा सके । जांच के प्रकरणों में, लेखापरीक्षा के लिए चिन्हित किए गए प्रकरणों की संख्या को ऐसी लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।

2.3.6.3 देरी से विवरणी दाखिल करने एवं विवरणी दाखिल नहीं करने वालों पर कार्यवाही का अभाव

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46, यदि करदाता नियत तिथि के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो तो फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस जारी करना प्रावधित करती है, जिसमें पंद्रह दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता इस तरह के नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का आंकलन कर फॉर्म एएसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकते हैं।

विवरणी दाखिल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तिथि एक ही है, जो विवरणी न भरने वालों के मामले में कर/शास्ति का भुगतान न करने का जोखिम दर्शाती हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन वृत्तों[14] द्वारा देर से विवरणी दाखिल करने वालों/दाखिल न करने वालों के 1,676 मामलों की पहचान की गई थी। शेष 18 वृत्तों द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

यह देखा गया कि इन तीन वृत्तों में 878 करदाताओं (52.39 प्रतिशत) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उपयुक्त विवरणी दाखिल नहीं की गई थी। तथापि, क्षेत्राधिकारियों ने इन प्रकरणों में निर्धारण एवं पंजीयन निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही

14 वृत्त-बी उदयपुर, ए-भिवाड़ी एवं शाहपुरा।

प्रारम्भ नहीं की। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर वृत्त-बी उदयपुर के क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया (जुलाई 2022) गया कि वृत्त द्वारा दाखिल नहीं करने वालों एवं विलम्ब से दाखिल करने वालों पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा रही है, तथापि, इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था। (अक्टूबर 2024)

2.3.6.4 पंजीकरण रद्द करने के बाद जीएसटीआर-10 न भरने पर कार्यवाही का अभाव

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 29 पंजीकरण रद्द करने की शर्तों को निर्धारित करती है, जिसमें उन करदाताओं के पंजीकरण को स्वतः रद्द करना शामिल है जिन्होंने लगातार छह महीनों तक (कम्पोजिट करदाताओं के मामलों में लगातार तीन कर अवधि) विवरणी दाखिल नहीं की है। गैर-दाखिलकर्ताओं के पंजीकरण को रद्द करने के लिए वृत्ताधिकारी जिम्मेदार है। सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 45 के साथ पठित सीजीएसटी/आरजीएसटी नियमों का नियम 81 निर्दिष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, वह रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख (जो भी बाद में हो) के तीन महीने के भीतर फॉर्म जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणी दाखिल करेगा। इस विवरणी का उद्देश्य अंतिम स्टॉक (आगत और पूंजीगत सामान सहित) में शामिल आईटीसी का विवरण प्रदान करना है, जिसे करदाता द्वारा रिवर्स/भुगतान किया जाना है।

जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए चयनित 21 वृत्तों के अभिलेखों की जांच (जुलाई और अगस्त 2022) के साथ-साथ जीएसटी बैकएंड सिस्टम पर उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट की जांच के दौरान, यह देखा गया कि जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान चार वृत्तों[15] में 4,934 करदाताओं के पंजीकरण रद्द किए गए थे। शेष 17 वृत्तों द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

रद्द किए गए इन पंजीकरणों में से लेखापरीक्षा की तिथि तक निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अंतिम विवरणी, जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं करने वाले 4,901 करदाताओं के विरूद्ध क्षेत्राधिकारीयों द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और एक वृत्त[16] के सिर्फ 33 करदाताओं द्वारा अन्तिम विवरणी दाखिल की गई थी। यह विभाग द्वारा अनुश्रवण में गंभीर कमी को दर्शाता है।

ध्यान में लाये जाने पर सभी वृत्तों के क्षेत्राधिकारीयों ने बताया (जुलाई एवं अगस्त 2022) कि मामले की विधिवत जांच के बाद जवाब सूचित किया जायेगा।

---

15 वृत्त- ए भिवाड़ी, शाहपुरा, झुंझुनु एवं बी उदयपुर।

16 वृत्त-बी उदयपुर, जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान इस वृत्त में 576 पंजीकरण रद्द किए गए।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था। (अक्टूबर 2024)

2.3.7 केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा (भाग II)

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जीएसटी विवरणी डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणी के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 13 मापदंडों के एक समूह पर की गई थी, जिन्हें मोटे तौर पर दो आयामों - आईटीसी तथा कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

निर्धारित 13 जीएसटी विवरणियों[17] में से, निम्नलिखित मूल विवरणियां जो सामान्य करदाताओं पर लागू होती हैं, को जीएसटी विवरणी/डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और मिसमैच की पहचान करने के उद्देश्य से माना गया।

- जीएसटीआर–1: माल और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी है और इसमें माल व सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।

- जीएसटीआर–3बी: करदाता द्वारा कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति और दावा की गई आईटीसी का मासिक सारांश, जो अधिनियम की धारा 39(1) के तहत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली विवरणी है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट व डेबिट एवं इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ लेजर में डेबिट को प्रदर्शित करती है।

- जीएसटीआर-6: आगत सेवा वितरकों (आई एस डी) के लिए मासिक विवरणी, जो उनके द्वारा वितरित आगत कर क्रेडिट तथा आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करती है।

- जीएसटीआर-8: जीएसटी के तहत टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) की कटौती करने वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल की जाने वाली मासिक विवरणी, जिसे अक्टूबर 2018 में लागू किया गया।

- जीएसटीआर–9: आगत सेवा वितरक (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहक, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति तथा अनिवासी करदाता के अलावा अन्य सभी पंजीकृत

17 जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (कम्पोजिशन स्कीम के तहत करदाता के लिए), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता के लिए), जीएसटीआर-6 (आगत सेवा वितरक के लिए) , जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता के लिए), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए), जीएसटीआर-9 (वार्षिक विवरणी), जीएसटीआर-10 (अंतिम विवरणी), जीएसटीआर-11 (युआईएन रखने वाला व रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति के लिए), सीएमपी -08, और आईटीसी-04 (किसी जॉब-वर्कर को भेजे/प्राप्त किए गए माल के विवरण के बारे में प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण)।

व्यक्तियों द्वारा दाखिल की जाने वाली वार्षिक विवरणी है। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, एसजीएसटी व आईजीएसटी) के तहत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के विवरण के साथ-साथ टर्नओवर एवं लेखापरीक्षा का विवरण शामिल होता हैं।

- जीएसटीआर–9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फॉर्म है। यह मूल रूप से जीएसटीआर–9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाधान विवरण है।

- जीएसटीआर–2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक सिस्टम जनित विवरण। इसमें जीएसटीआर–1/5 फॉर्म में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेनों का विवरण, जीएसटीआर-6 से आईएसडी विवरण, जीएसटीआर–7 एवं जीएसटीआर–8 से क्रमशः प्रतिपक्ष द्वारा एवं प्रविष्टि के बिल पर विदेशों से माल का आयात, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आइसगेट पोर्टल से प्राप्त हुआ, का विवरण है।

चिन्हित किए गए 13 मापदंडों पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित पैन स्टेट डेटा विश्लेषण एवं देखे गए विचलन/विसंगतियों की सीमा को **तालिका 2.2** में सारीकृत किया गया है-

तालिका 2.2: नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	*मापदंड*	*प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम*	*विचलनों की संख्या*	*राशि (₹ करोड़ में)*
आयामः आईटीसी				
डी1	*जीएसटीआर-2ए और जीएसटी आर-3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच*	*अपने सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए(5) (घरेलू आपूर्ति पर अर्जित) में उपभोग की गई आईटीसी के साथ की गई, जिसमें तालिका 4बी(2) की रिवर्स आईटीसी को छोड़कर लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर- 9 की तालिका 8 सी में उपभोग की गई आईटीसी को शामिल किया गया।*	***50***	***205.91***
डी 2	*आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान*	*जीएसटीआर-3 बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नही था, जांच को जीएसटीआर-3बी के भीतर प्रतिबंधित किया गया – तालिका 3.1 (डी) में कर की अदायगी की तुलना में तालिका 4 ए (2) एवं 4 ए (3) में प्राप्त आई टी सी।*	***50***	***31.32***

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
डी 3	बिना भुगतान के ली गई आरसीएम आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 4 जी (देय कर) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6 सी , 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर- 9 उपलब्ध नहीं थी, जीएसटीआर-3बी की तालिका (3.1 डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी के (4ए) (2) व 4ए (3) से की गई थी। जहां दोनों उपलब्ध थी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी में अधिक अंतर वाली विवरणी मानी गई।	50	30.86
डी 4	आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग	जीएसटीआर-9 की तालिका 6 जी या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए) (4) में स्थानांतरित आईएसडी की तुलना प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए, 8ए व 9ए के योग से की गई थी।	50	12.87
डी 5	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान	जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में धनात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जाँच	50	1769.04
डी 6	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में धनात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 13 में उपलब्ध कराये गए कारणों की जाँच	50	463.93
आयाम: कर का भुगतान				
डी 7	जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में घोषित टर्नऑवर में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 6 में दिए गए कारणों की जाँच	50	5889.32
डी 8	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नऑवर में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की जाँच	50	3138.42
डी 9	लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 10 में दिए गए कारणों की जाँच	50	47.10
डी 10	अस्थिर देनदारियां	जीएसटीआर-1 (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर 9 (तालिका 4 एन,10 और 11) के बीच अधिक कर देयता की तुलना जीएसटीआर-3 बी तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किये गये कर विवरण से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर- 9 उपलब्ध नहीं थी जीएसटीआर-3बी में भुगतान किए गए कर की तुलना जीएसटीआर-1 में देनदारी से की गयी जीएसटीआर-1 एवं 9 में घोषित संशोधन और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	50	250.59
डी 11	कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना	टीसीएस प्रावधान प्रभावी होने पर ई- कॉमर्स जी एस टी आर 8, दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी हो गई। जीएसटीआर- 8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कि कम्पोजिशन योजना के तहत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	28	-

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
डी 12	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3 बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर- 1 दाखिल किया है या जहाँ जीएसटीआर 2 ए उपलब्ध है, यह दर्शाता है कि करदाता बिना कर चुकाए व्यवसाय कर रहे हैं।	50	-
डी 13	ब्याज का कम भुगतान	जीएसटीआर-3बी को देरी से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर जीएसटीआर-3 बी में घोषित ब्याज की तुलना, 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की गयी	50	12.48
		कुल	628	11,851.84

2.3.7.1 लेखापरीक्षा पर प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए 13 मापदंडों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/विसंगतियों में से 628 का एक नमूना चयनित किया। लेखापरीक्षा ने विभाग को ₹ 2,676.41 करोड़ की राशि के 605 लेखापरीक्षा आक्षेप जारी किए।

इन मामलों में चिन्हित विचलनों/मिसमैच पर, लेखापरीक्षा जाँच विभाग की कार्यवाही के सत्यापन तक सीमित थी। विभाग ने जारी किए गए सभी आक्षेपों के उत्तर दिए। तथापि, ₹ 364.64 करोड़ के मिसमैच/विसंगति वाले 104 आक्षेपों में उत्तर अंतरिम था और विभाग ने कहा कि मामलों की जांच अभी की जानी है।

2.3.7.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों का सारांश

लेखापरीक्षा आक्षेपों पर विभाग से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर, अनुपालन विचलन (**परिशिष्ट-2.1**) में रूपांतरित 13 मापदंडों में से प्रत्येक को **तालिका 2.3** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.3 कमियों का सारांश

(राशि ₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहां उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया		अनुपालन विचलन							
					वसूली की गई या एससीएन[18] जारी किया गया		एएसएमटी-10[19]/नोटिस/डीआरसी-01ए[20] जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खण्डन)		योग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
जीएसटीआर-2ए और जीएसटी आर-3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच (डी 1)	50	205.91	18	65.59	01	1.53	21	103.30	00	00	22	104.83
आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान (डी 2)	48	30.30	16	7.32	0	0	28	21.21	00	00	28	21.21
बिना भुगतान के ली गई आरसीएम आईटीसी (डी 3)	47	29.76	17	7.36	0	0	26	20.75	0	0	26	20.75
आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग (डी 4)	50	12.87	18	4.26	01	0.10	22	5.21	01	0.14	24	5.45
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान (डी 5)	47	1686.59	27	920.07	0	0	10	#	0	0	10	#
वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच (डी 6)	50	463.93	22	52.22	0	0	22	$	0	0	22	$
जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में घोषित टर्नऑवर में मिसमैच (डी 7)	50	-[21]	12	0	0	-	27	-	0	-	27	-
जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नऑवर में मिसमैच (डी 8)	50	-[22]	11	0	05	-	26	-	0	-	31	-

18 19 प्रकरणों में ₹ 1.87 करोड़ की वसूली की गई और ₹ 25.88 करोड़ के 31 प्रकरणों में एससीएन जारी किया गया।

19 करदाता को विसंगति की सूचना देना और उसका स्पष्टीकरण मांगना।

20 सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(5)/74(5) के तहत देय निर्धारित कर की सूचना।

21 50 प्रकरणों में जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में कुल मिलान नहीं हुआ टर्नओवर ₹ 5,889.32 करोड़ है, जिसमें से 11 प्रकरणों में ₹ 1,342.73 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर की जांच विभाग द्वारा अभी तक की जानी है, 12 प्रकरणों में, जिनमें ₹ 672.36 करोड़ का मिसमैच टर्नओवर शामिल हैं, विभाग ने मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किया है और ₹ 3,874.23 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले शेष 27 प्रकरणों में विचलन को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

22 50 प्रकरणों में जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में कुल मिलान नहीं हुआ कर योग्य टर्नओवर ₹ 3,138.42 करोड़ है, जिसमें से आठ प्रकरणों में ₹ 259.52 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर की विभाग द्वारा जांच की जानी बाकी है, चार प्रकरणों में ₹ 64.87 करोड़ का मिसमैच टर्नऑवर डेटा प्रविष्टि की त्रुटि के कारण था, ₹ 322.34 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले सात प्रकरणों में विभाग द्वारा मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किया गया और शेष 31 प्रकरणों में ₹ 2,491.69 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले विचलन को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में मिलान नहीं हुई आईटीसी का अनुपालन विचलन ₹ 530.97 करोड़।

$ जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में मिलान नहीं हुई आईटीसी का अनुपालन विचलन ₹ 404.07 करोड़।

लेखापरीक्षा आयाम	प्रकरण जहां उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया		अनुपालन विचलन							
					वसूली की गई या एससीएन[18] जारी किया गया		एएसएमटी–10[19]/नोटिस/डीआरसी–01ए[20] जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खण्डन)		योग	
लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच (डी 9)	48	45.72	13	9.05	10	1.36	22	33.67	0	0	32	35.03
अस्थिर देनदारियां (डी 10)	39	188.85	6	37.84	07	21.64	12	53.73	0	0	19	75.37
कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना (डी 11)	26	0	9	0	03	0	10	0	0	0	13	0
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है (डी 12)	50	0	6	0	09	0	22	0	0	0	31	0
ब्याज का कम भुगतान (डी 13)	50	12.48	1	0.13	14	3.12	25	6.97	01	0.16	40	10.25
योग	**605**	**2,676.41**	**176**	**1,103.84**	**50**	**27.75**	**273**	**244.84**	**02**	**0.30**	**325**	**272.89**

लेखापरीक्षा ने ₹ 272.59 करोड़ की राशि वाले 323 प्रकरणों में आरजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जो कि डेटा में 605 विसंगतियों/मिसमैच का 53.39 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रत्युत्तर दिये। जोखिम मापदण्डों जैसे कि अधिक आईटीसी का उपभोग, कर योग्य मूल्य की कम घोषणा और आरसीएम पर आईटीसी का अधिक उपभोग में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी।

176 प्रकरणों में, जो लेखापरीक्षा नमूने के 29.09 प्रतिशत थे, जहाँ विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य थे, करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों में 63 मामले शामिल थे और विभाग ने 30 मामलों में सक्रिय रूप से कार्यवाही कर ली थी।

104 प्रकरणों में जो कि लेखा परीक्षा नमूने का 17.19 प्रतिशत है (₹ 364.64 करोड़ का अंतर्निहित विचलन), विभाग ने बताया कि संबंधित वृत अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। शेष दो मामलों में यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए विचलनों को स्वीकार नहीं किया लेकिन उसका तर्क साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था, और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन अधीन नहीं था।

प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के उच्च विचलन को नीचे उदाहरणार्थ बताया गया है:

(i) जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच मिसमैच आईटीसी:

आईटीसी उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से संबंधित डाटा निकाले गए थे, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान की गई आईटीसी का करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था।

वृत एन, जयपुर-III के अधीन करदाता मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACL6442L1ZA) के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 207.03 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 226.93 करोड़ थी (जी एस टी आर 9 की तालिका 8 सी से अगले वर्ष 2018-19 में प्राप्त आईटीसी ₹ 6.47 करोड़ सहित)। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी राशि ₹ 19.90 करोड़ मिसमैच हुई जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि विसंगति के कारण जानने के लिए करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ii) जीएसटीआर -3बी के अनुसार कर के भुगतान के बिना आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना: सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) के तहत और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अन्तर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत, माल या सेवाओं की आपूर्ति की कुछ श्रेणियों की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय, प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है। जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां आईटीसी का उपभोग जीएसटीआर -3बी के अनुसार माना गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए आरसीएम के तहत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आईटीसी की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर -3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर -9 से संबंधित डेटासेट की तुलना यह जाँचने के लिए की गयी थी कि क्या आरसीएम पर प्राप्त आईटीसी किये गये कर भुगतान की सीमा तक सीमित थी।

वृत - जैसलमेर के अधीन एक करदाता, मैसर्स फोकस एनर्जी लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACP1563C1ZT) के मामले में लेखापरीक्षा में देखा गया कि, जीएसटीआर -3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम के तहत देय कर के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 14.51 करोड़ थी, जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (2) और (3) में प्राप्त की गयी आईटीसी ₹ 25.90 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.39 करोड़ की आईटीसी मिसमैच हुई, जिसे विभाग और राज्य सरकार को (जनवरी 2023) में सूचित किया गया। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि विसंगति के कारणों की जाँच हेतु एएसएमटी-10 जारी किया गया। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(iii) जीएसटीआर-9 के अनुसार कर के भुगतान किए बिना आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ लिया जाना: वर्ष 2017-18 में आरसीएम के तहत समतुल्य कर दायित्व का निर्वहन किये बिना आईटीसी प्राप्त करने की सीमा या दूसरे शब्दों में, आरसीएम के तहत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में आरसीएम भुगतान की जीएसटीआर-9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी के साथ तुलना करके किया गया था जिससे यह जांचा जा सके कि आरसीएम के अन्तर्गत की गई गतिविधियों/लेन-देनों पर कर को पूरी तरह से चुकाया गया है या नहीं।

वृत बी उदयपुर के अधीन एक करदाता, मैसर्स रोशन लाल जैन एंड कंपनी (जीएसटीआईएनः 08AABFR2507C1ZQ) के प्रकरण में देखा गया कि, जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में आरसीएम के तहत कर का भुगतान ₹ 0.01 करोड़[23] था। जबकि, जीएसटीआर-9 की तालिका 6 (सी, डी एण्ड एफ) के अनुसार, करदाता ने आरसीएम के अन्तर्गत ₹ 2.12 करोड़ की आईटीसी का लाभ उठाया था। इस प्रकार, करदाता ने आरसीएम के अन्तर्गत ₹ 2.11 करोड़ की आईटीसी का लाभ बिना कर के भुगतान किये प्राप्त किया।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(iv) आईएसडी क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी का गलत लाभ उठाना: यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आई टी सी, इनपुट सेवा वितरक (आई एस डी) द्वारा हस्तांतरित आई टी सी से अधिक है, करदाता की विवरणी में घोषित आईटीसी लाभ की तुलना उनके जीएसटीआर 6 में आई एस डी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से की गयी है।

वृत-सी, अजमेर के अधीन करदाता मैसर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACH1004N1ZU) के मामले में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 9 की तालिका 6जी में प्राप्त आईटीसी ₹ 11.37 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा हस्तान्तरित आईटीसी ₹ 9.25 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी का प्राप्त आई टी सी से राशि ₹ 2.12 करोड़ का मिसमैच हुआ जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(v) जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में मिलान नहीं हुई आईटीसी: जीएसटीआर 9 सी की तालिका 14, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार व्ययों पर प्राप्त आईटीसी के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी मिलान नहीं हुई आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तिय विवरणों में बताए गए व्ययों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वृत-सी कोटा के अधीन एक करदाता, मैसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACC9762A1ZT) के मामले में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि, जीएसटीआर 9सी की तालिका 14एस के अनुसार वार्षिक विवरणी में ₹ 553.73 करोड़ की

23 जीएसटीआर 3बी में भी ₹ 0.01 करोड़ का आरसीएम भुगतान दिखाया है।

आई टी सी का दावा किया गया था, जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 14 आर के अनुसार पात्र आईटीसी की कुल राशि ₹189.92 करोड़ थी। इस प्रकार, जीएसटीआर 9 सी की तालिका 14 टी में घोषित ₹ 363.81 करोड़ की मिलान नहीं हुई आईटीसी थी, जो कि जीएसटी विवरणी में, वित्तीय विवरणों में बताये गये व्ययों के आधार पर पात्र आई टी सी से अधिक ली गयी थी।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023)। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि नोटिस जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(vi) वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैचः

जीएसटीआर 9सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त आईटीसी के साथ मिलाती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ मिलान नहीं हुई आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तिय विवरणों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वृत -सी कोटा के अधीन, करदाता मैसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACC9762A1ZT) के मामले में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 12डी में घोषित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार दावा की गई आईटीसी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9सी की तालिका 12ई के अनुसार दावा की गई आईटीसी के बीच ₹ 364 करोड़ का मिसमैच था। इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में मिलान नहीं हुई आईटीसी ₹ 364 करोड़ की घोषित की गई।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(vii) जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में मिलान नहीं होने वाला टर्नओवरः

जीएसटीआर 9सी की तालिका 5, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में घोषित टर्नओवर का वार्षिक टर्नओवर (जीएसटीआर 9) में घोषित टर्नओवर के साथ मिलान है। इस तालिका का कॉलम 5आर वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किये गए टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी मे सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक विवरणी में बताए गए टर्नओवर मे पहचाने गये मिसमैच की सीमा

की समीक्षा करने के लिए डेटास्तर पर विश्लेषण किया गया था। ऐसे मामलों में मिलान नही हुई राशि जहां जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है वो किसी राशि को नहीं-दर्शाने, कम-दर्शाने, चूक, आपूर्ति को दर्शाने में त्रुटि के कारण कर चोरी या कर के कम भुगतान को इंगित करती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों को नहीं-दर्शाने का मामला भी हो सकता है।

वृत-एच, जयपुर-1 के अधीन,एक करदाता मैसर्स जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCJ6373K1Z7) के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 5पी में घोषित वार्षिक टर्नओवर ₹ 13,316.02 करोड़ था जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 5क्यू में घोषित वार्षिक टर्नओवर ₹ 11,950.67 करोड़ था। इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की तालिका 5आर में ₹ 1,365.35 करोड़ का मिलान नहीं होने वाला टर्नओवर घोषित किया गया था।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (दिसंबर 2022 एवं जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(viii) ***जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नहीं हुए कर योग्य टर्नओवर:*** जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 7जी वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 और अपेक्षित समायोजन के बाद उस वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित मिलान नही होने वाले कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी मे सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक विवरणी में बताए गए कर योग्य टर्नओवर में पहचाने गये मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटास्तर पर विश्लेषण किया गया था। ऐसे मामलों में मिलान नही हुई राशि जहां जी एस टी आर 9 में घोषित टर्नओवर वित्तिय विवरण से कम है वो किसी राशि को नही दर्शाने, कम दर्शाने, चूक, कर योग्य आपूर्ति को दर्शानें में त्रुटि को इंगित करती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनो को नही दर्शाने के कारण भी हो सकता है।

वृत-एन, जयपुर-III के अधीन करदाता मैसर्स सिंटेक्स प्रीफैब एंड इंफ्रा लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AANCS6027R1ZH) में जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नही होने वाले कर योग्य टर्नओवर के संबंध में राशि ₹ 1,139.76 करोड़ पर लेखापरीक्षा आक्षेप जारी कर विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी 10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ix) लेखा पुस्तको और विवरणियो के बीच भुगतान किए गए कर में मिसमैचः

वर्ष 2017-18 के लिए फार्म जीएसटीआर 9 सी में सीजीएसटी/एसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वार्षिक विवरणी एवं लेखा पुस्तकों के बीच भुगतान किये गये कर में पहचाने गये मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था। विवरणी 9सी की तालिका 9 टर्नओवर को दर के अनुसार अलग करके और वार्षिक विवरणी जी एस टी आर 9 के अनुसार निर्वहन किये गये कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर को मिलान करने को दर्शाती हैं।

मिलान नही हुई राशियाँ गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य टर्नओवर को करमुक्त टर्नओवर या इसके विपरीत दर्शाना या सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी के गलत आरोपण का संभावित रूप से संकेत हो सकती है। ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जिनमें वर्ष 2017-18 के लेनदेनो में आपूर्ति/घोषित कर को संशोधनों (डेबिट नोट्स/क्रेडिट नोट्स का निवल) के माध्यम से बाद के वर्ष में अप्रैल से सितंबर 2018 मे कम किया गया हों। परिणामस्वरूप ब्याज के भुगतान - कम भुगतान और गलत शीर्षो के तहत भुगतान दोनों की भी इस संबंध में जांच किए जाने की आवश्यकता है।

वृत-सी, जयपुर-III के अधीन एक करदाता, मैसर्स आईवीआरसीएल लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AACI5139B1ZY) के मामले में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 9सी की तालिका 9पी के अनुसार भुगतान किया जाने वाला कुल कर ₹ 29.51 करोड़ था, जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 9क्यू के अनुसार वार्षिक विवरणी में भुगतान किया गया कुल कर ₹ 20.46 करोड़ था। इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में ₹ 9.05 करोड़ के कर के भुगतान का मिलान नहीं होना घोषित किया गया था।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि इकाई परिसमापन के अधीन थी और मामला एनसीएलटी हैदराबाद के अधीन विचाराधीन था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(x) अस्थिर कर देनदारियांः माल या सेवाओं की जावक आपूर्ति के मासिक विवरण को जीएसटीआर-1 में दर्शाया जाता है। जावक आपूर्ति का करदाता द्वारा भी निर्धारण किया जाता है और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के संबंधित कॉलम में इसका उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उस पर भुगतान किया गया कर भी मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी में दिखाया जाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से, न चुकाई गई कर की देनदारी का विश्लेषण करने के लिए संबंधित डेटा निकाला गया और इन विवरणियो में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 के अनुसार भुगतान किए गए कर से की गई थी। इस प्रयोजन हेतु जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित किये गये संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

वृत-रामगंज मंडी के अधीन करदाता मैसर्स विश्वकर्मा स्टोन इंडस्ट्रीज (जीएसटीआईएनः 08AFRPS6757C2ZT) के मामले में, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जीएसटीआर

1 के अनुसार देय कर ₹ 0.40 करोड़ था और जीएसटीआर 9 के अनुसार ₹ 27.34 करोड़ था। जीएसटीआर -9 में घोषित अधिक कर देनदारी ₹ 27.34 करोड़ की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 9 और 14 में घोषित ₹ 0.40 करोड़ के कर के साथ की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.94 करोड़ की कर देयता मिसमैच हुई जिसकी सूचना विभाग एवं राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023)। जवाब में, सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत को अनुपालना प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(xi) ***जीएसटीआर-3बी का दाखिल नहीं किया जाना लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध होना:*** सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम 2017 के नियम 61(5) के तहत जीएसटीआर 3बी विवरणी एकमात्र प्रपत्र है जिसके माध्यम से कर दायित्वों की पूर्ति और आईटीसी का लाभ लिया जाता है।

डेटा विश्लेषण के माध्यम से उन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया गया जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की थी लेकिन जीएसटीआर 1 दाखिल की थी या जिनका जीएसटीआर 2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर 1 और 2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर 3बी को दाखिल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था/चलाया था लेकिन अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया। इसमें आईटीसी के अनियमित जारी होने के मामले भी शामिल हो सकते हैं।

वृत-ई, जयपुर II के अधीन करदाता, मैसर्स वर्धानी मोटर्स (जीएसटीआईएनः 08AARPV8119N1ZM) के मामले में जीएसटीआर 1, 2ए और 3बी में प्रासंगिक स्थानों से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया था। यह देखा गया कि करदाता ने 2017-18 में जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की थी जबकि करदाता ने अपने जीएसटीआर-1 में ₹ 0.59 करोड़ की कर राशि के साथ कर योग्य आपूर्ति घोषित की थी। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता द्वारा दिसंबर 2022 में जीएसटीआर 3बी दाखिल कर दी थी।

(xii) ***ब्याज का कम भुगतान:*** अधिनियम की धारा 50 अनुबंधित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग भुगतान न किया गया हो, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

2017-18 के दौरान कर के विलंब से जमा करायी गई राशि के कारण ब्याज के कम भुगतान की राशि की पहचान जीएसटीआर 3बी में कर भुगतान के विवरण एवं जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गई। देय ब्याज की गणना करने के लिए केवल निवल कर देयता (नकद घटक) को मानकर किया है।

वृत-बी, जयपुर III के अधीन करदाता मैसर्स कृष्ण अर्जुन एंटरप्राइजेज (जीएसटीआईएनः 08AAHFK5693G1ZY) के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि, मार्च 2018 के महीने से संबंधित

विवरणी (जीएसटीआर 3बी) जिसमें ₹ 4.30 करोड़ की कर देनदारी शामिल थी, को मार्च 2019 में देरी से दाखिल किया गया। इस प्रकार, करदाता ने मासिक कर देयता का देरी से भुगतान किया लेकिन देरी से किए गए भुगतान कर पर कोई ब्याज नहीं दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.73 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया जिसे विभाग एवं राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

2.3.7.3 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा- डेटा विश्लेषण के दौरान देखे गए विचलन/मिसमैच के कारण

विभाग के 605 मामलों में जवाब को ध्यान में रखते हुए, डेटा विचलन/विसंगतता के कारणों के निम्नानुसार कारक हैं:

(क) जीएसटी कानून और नियमों से विचलन: उपरोक्त तालिका 2.3 में सारीकृत 605 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 272.59 करोड़ के कर प्रभाव वाले 323 मामलों में लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया या उन पर कार्रवाई शुरू की है। इन प्रकरणों में से, विभाग ने 19 प्रकरणों में ₹ 1.87 करोड़ की वसूली की, ₹ 25.88 करोड़ के 31 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है, ₹ 193.86 करोड़ के 237 प्रकरणों में करदाता को विसंगतियों से अवगत कराते हुए फॉर्म एएसएमटी -10 में नोटिस जारी किया है तथा ₹ 50.98 करोड़ के कर प्रभाव वाले 36 मामलों में संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार किया गया या डीआरसी-01ए जारी किया गया। विवरण **(परिशिष्ट 2.2(ए) से 2.2(एम))** में दिए गए हैं।

शीर्ष पांच प्रकरणों में जो कि स्वीकार किये गए या जहाँ विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई, उनकी राशि ₹ 778.94 करोड़ थी। उदाहरणात्मक दो मामले नीचे दिये गए है:

(i) ***कर देयता की कम घोषणा:*** वृत-जी, जयपुर-I की लेखापरीक्षा के दौरान, करदाता मैसर्स वेगा एक्सप्रेस कूरियर और कार्गो (जीएसटीआईएन: 08AGBPS2905H1ZG) के मामले में, यह देखा गया कि जीएसटीआर 1 के अनुसार ₹17.64 करोड़ का कर देय था जबकि जीएसटीआर 3बी में केवल ₹ 0.02 करोड़ का देय कर ही घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच ₹ 17.62 करोड़ की कर देयता मिसमैच थी, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को दी गई (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि एएसएमटी 10 जारी किया जा चुका है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ii) ***जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच:*** वृत आई, जयपुर-III के अधीन करदाता मैसर्स सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड (जीएसटीआईएन: 08AADCS0472N1Z2) के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 20.69 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी ₹ 34.30 करोड़ थी (जीएसटीआर 3बी की तालिका 4बी (2) के ₹ 0.14 करोड़ की

आईटीसी रिवर्सल को छोड़कर और आगामी वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी में प्राप्त आईटीसी ₹ 2.99 करोड़ सहित)। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 13.61 करोड़ की आईटीसी मिसमैच हुई जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि विसंगति के कारण जानने के लिए एएसएमटी-10 जारी किया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ख) विसंगतियों/मिसमैचो को विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा खंडन किया गया

मिसमैच/विसंगतियों में लेखापरीक्षा नमूने के 605 प्रकरणों में से, विभाग ने राशि ₹ 0.30 करोड़ के दो प्रकरणों को स्वीकार नहीं किया, जहां लेखापरीक्षा विभाग के तर्क से सहमत नहीं था। इन प्रकरणों को नीचे दिया गया है:

(i) ***प्राप्तकर्ता द्वारा आईएसडी क्रेडिट पर आईटीसी का अनियमित लाभ उठाना:*** वृत शाहजहाँपुर के अधीन करदाता मैसर्स पारले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACP0486A1ZT) के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि प्राप्तकर्ता द्वारा आईएसडी क्रेडिट पर आईटीसी का अनियमित रूप से लाभ उठाया जा रहा था, जिसमें जीएसटीआर 9 की टेबल 6जी में आईटीसी का लाभ ₹ 0.37 करोड़ उठाया गया जबकि जीएसटीआर 6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा हस्तांतरित की गई आईटीसी केवल ₹ 0.23 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आईएसडी द्वारा हस्तांतरित की गई राशि ₹ 0.14 करोड़ की आईटीसी के लाभ का मिसमैच हुआ जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता केंद्रीय क्षेत्राधिकार में है, जबकि, फ्रंट-एंड जीएसटी पोर्टल के साथ-साथ विभाग के बैकएंड एप्लिकेशन में करदाता राज्य के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदर्शित था।

(ii) ***ब्याज का कम भुगतान:*** लेखापरीक्षा ने वृत-सिरोही के अधीन मै. अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCB3087C1ZZ) के संबंध में ब्याज का कम भुगतान देखा, जिसमें जुलाई और अगस्त 2017 के महीनों से संबंधित विवरणी (जीएसटीआर 3बी) देरी से अक्टूबर 2017 में दाखिल की गई थी, जिसमे कर देयता (नकद घटक) क्रमशः ₹ 19.09 करोड़ और ₹ 3.63 करोड़ सम्मिलित थी। तथापि, राशि ₹ 0.16 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि उक्त ब्याज देयता एक अन्य यूनिट से संबंधित है जिसे करदाता द्वारा नवंबर 2018 में अधिग्रहित किया गया था और इसलिए, ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उस यूनिट का होगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिग्रहीत इकाई से संबंधित ब्याज का भुगतान करने का दायित्व अब अधिग्रहण करने वाली इकाई अर्थात मै. अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड में निहित है।

(ग) **करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियां**: जिन प्रकरणों में विभाग से जबाब प्राप्त हुए है उनमे से 10.41 प्रतिशत (63 प्रकरण) डेटा प्रविष्टि त्रुटियों से सम्बंधित हैं। इन डेटा

प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व प्रभाव नहीं था। अधिकांश डेटा प्रविष्टि त्रुटियां आरसीएम, आईएसडी, टर्नओवर, कर योग्य टर्नओवर और भुगतान किए गए कर (जीएसटीआर 9सी में दिखाये गये) से संबंधित हैं जैसा कि **परिशिष्ट 2.3(ए) से 2.3(आई)** में बताया गया है। उदाहरणात्मक एक मामला नीचे दिया गया हैः

वृत बी अलवर के अधीन करदाता एसएसडी एंटरप्राइजेज (जीएसटीआईएनः 08AHHPM2757N1ZR) के मामले में, लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.30 करोड़ थी और जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 10.67 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ की राशि की आईटीसी मिसमैच हुई जिसे विभाग एवं राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि मार्च 2018 माह के लिए जीएसटीआर 3बी दाखिल करते समय, टंकण की त्रुटि के कारण दो अंक अतिरिक्त भरे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आईटीसी का अधिक दावा किया गया, तथापि, इस अधिक आईटीसी को माह जुलाई 2018 की जीएसटीआर 3बी दाखिल करने के दौरान रिवर्स कर दिया गया था। इसके अलावा, गलती से प्राप्त की गई आईटीसी का उपयोग उसके रिवर्स किए जाने की दिनांक तक नहीं किया गया था।

(घ) लेखापरीक्षा आक्षेपों को जारी करने से पहले की गई कार्यवाहीः जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में सारीकृत किया गया है कि विभाग द्वारा 30 मामलों में पहले ही कार्यवाही की जा चुकी थी, जो कुल प्राप्त उत्तरों का 4.96 प्रतिशत है। विचलनों/विसंगतियों का सक्रिय रूप से निपटारा करने वाले शीर्ष पांच वृत्तों को **तालिका 2.4** में दर्शाया गया हैः

तालिका 2.4ः लेखापरीक्षा के आक्षेपों से पहले की गई कार्यवाही – वृतवार

वृत	लेखापरीक्षा के प्रश्नों से पहले की गई कार्यवाही	कार्यवाही के प्रकार	प्राप्त प्रत्युतर
ए जयपुर-II	3	एक मामले में मिलान न हुई आईटीसी को रिवर्स किया गया और दो मामलों में पंजीकरण रद्द तथा आईटीसी को ब्लॉक किया गया	3
बी, अलवर	2	अधिक आईटीसी लाभ को पहले ही रिवर्स किया गया	2
बी, भीलवाडा	2	अधिक आईटीसी लाभ को पहले ही रिवर्स किया गया	2
बारां	2	अधिक आईटीसी लाभ को पहले ही रिवर्स किया गया	2
वृत-आई, जयपुर I	2	जांच के दौरान पहले ही नोटिस जारी किया गया	2

2.3.8 विस्तृत लेखापरीक्षा (भाग III)

एक स्वतः निर्धारण व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र की स्थापना करने और इसे बनाये रखने की है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रह के लिए एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन के एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाती है और एक लक्षित दृष्टिकोण की अनुपालना को लागू करने की सुविधा प्रदान करती है।

बाहरी लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन-इंडिया डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणी में विसंगतियों/विचलन की पहचान करने के अलावा, इस एसएससीए के एक भाग के रूप में जीएसटी विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई थी। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 100 करदाताओं का जोखिम आधारित नमूना चयनित किया गया था। अपनाई गई कार्यप्रणाली में संभावित जोखिम श्रेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं रेड़ फ्लेग की पहचान करने के लिए करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 9सी के भाग के रूप में दाखिल की गयी जीएसटी विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों और बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों का प्रारम्भ में एक डेस्क रिव्यू किया गया था। डेस्क रिव्यू लेखापरीक्षा कार्यालय परिसर में किया गया था। डेस्क रिव्यू परिणामों के आधार पर, पहचान किए गए जोखिमों के प्रेरक कारणों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए करदाताओं के विस्तृत अभिलेखों जैसे वित्तीय लेजर, इनवॉयस इत्यादि की मांग करके विभाग के वृतों में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

2.3.8.1 कार्यक्षेत्र का परिसीमन

मांगों और अनुसरण के बावजूद, 100 प्रकरणों के लेखापरीक्षा नमूने में से 53 प्रकरणों में क्षेत्राधिकार वृत्तों द्वारा वित्तीय विवरण/ट्रॉयल बैलेंस/ऑडिटर्स रिपोर्ट और जीएसटीआर 2ए आदि जैसे मूलभूत अभिलेखों सहित अन्य अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इस तरह 53 प्रतिशत नमूना की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, जोखिम-आधारित नमूने के 10 प्रतिशत वाले अन्य 10 प्रकरणों में, अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि इनवॉयस और समझौते की प्रतियां जैसे विस्तृत करदाता अभिलेख प्रदान नही किये गये थे। इसके फलस्वरूप, आंशिक रूप से प्रस्तुत इन मामलों में, लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणियो में उपलब्ध जानकारी तक ही सीमित रही। इस प्रकार, लेखापरीक्षा दावा की गई आईटीसी की पात्रता और अस्थिर कर देयता की सीमा का मूल्यांकन नहीं कर सकी, जिससे एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र का परिसीमन हुआ।

क्षेत्राधिकार वार अप्रस्तुत अभिलेखों का सारांश **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है। अभिलेखों के प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप, डेटा विश्लेषण के माध्यम से देखे गए राशि ₹ 226.40 करोड़ के मिसमैचों/विचलनो की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

क्षेत्राधिकार-वार आंशिक प्रस्तुत अभिलेखों को **परिशिष्ट 2.5** में सारीकृत किया गया है। प्रकरण-वार विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिए गए हैं। संपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप, ₹ 18.45 करोड़ के आईटीसी लाभ और बकाया देयता की विस्तृत जांच लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

सिफारिशः 3. अभिलेखों को समय पर और पूर्ण रूप से लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता हेतु सरकार विभाग की इकाइयों को निर्देश दे सकती है।

2.3.8.2 विस्तृत लेखापरीक्षा- लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(I) जीएसटी विवरणियो से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

विस्तृत लेखापरीक्षा में नमूने के 100 करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणियों की जाँच से पता चला कि करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था और विवरणियों में डेटा त्रुटियों के मामले बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिन्हें नीचे बताया गया हैः

(ए) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा में 39 करदाताओं के 123 प्रकरणों में देखा गया, जो कि लेखापरीक्षा किए गए 100 करदाताओं का 39 प्रतिशत था, कि करदाताओं ने या तो अपनी विवरणियों को देरी से दाखिल किया था या गलत तरीके से आईटीसी क्रेडिट का लाभ उठाया और उपयोग में लिया, जिसका की वापिस भुगतान किया गया लेकिन ब्याज की राशि ₹ 6.50 करोड़ का भुगतान नहीं किया, (परिशिष्ट 2.7(ए) और 2.7(बी) [24]) ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि 29 मामलों[25] (₹ 0.36 करोड़ शामिल) के संबंध में नोटिस जारी किए गए जबकि आठ मामलों[26] के संबंध में डीआरसी-01ए (₹ 0.16 करोड़ शामिल) जारी किए है । 22 मामलों[27] में वसूली (₹ 0.02 करोड़) की जा चुकी है । एक मामले[28] में (₹ 0.002 करोड़ शामिल), यह कहा गया कि ब्याज देयता पहले ही जमा की जा चुकी है। इसके अलावा, शेष सात वृत्त अधिकारियों को 63 मामलों (₹ 5.96 करोड़ शामिल) के संबंध में अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किए गए।

ब्याज का भुगतान न करने के पांच बड़े प्रकरणों की राशि ₹ 5.95 करोड़ है । उदाहरणात्मक कुछ प्रकरण नीचे दिये गए हैंः

i. वृत बी कोटा के अधीन जे.के. सीमेंट लिमिटेडः जीएसटीआईएन 08AABCJ0355R1Z7 ने जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 की विवरणियां देरी से नवंबर और दिसंबर 2017 में दाखिल की, जिससे 11 से 96 दिनों के बीच की देरी हुई थी। तथापि, ₹ 202.58 करोड़ के कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 5.48 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गए थे।

ii. वृत सी जयपुर II के अधीन वोडाफोन आइडिया लिमिटेडः जीएसटीआईएन 08AAACB2100P1ZX ने जुलाई से सितंबर 2017 की अवधि के लिए जीएसटीआर 3बी विवरणियों को 20 से 69 दिनों की देरी से नवंबर 2017 में दाखिल किया था। तथापि,

---

24 36 प्रकरणों में विलम्बित कर भुगतान पर राशि ₹ 6.22 करोड़ के ब्याज का भुगतान नही करना (**परिशिष्ट 2.7(ए)**) और तीन प्रकरणों में गलत तरीके से प्राप्त एवं उपयोग की गयी आईटीसी पर ब्याज राशि ₹ 0.28 करोड़ का भुगतान नही करना (परिशिष्ट 2.7(बी))।

25 10 वृत्तों से संबंधित।

26 तीन वृत्तों से संबंधित।

27 पांच वृत्तों से संबंधित।

28 वृत्त जैसलमेर।

₹ 4.91 करोड़ के कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.16 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया था। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि अधिनियम की धारा 73 के तहत डीआरसी 01[29] जारी कर दिया गया था।

(बी) डेटा प्रविष्टि त्रुटियां

छह करदाताओं की विवरणियो में शामिल ₹ 4.72 करोड़ की डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया। विवरण **परिशिष्ट 2.8(ए) से 2.8(सी)** में दिए गए हैं। त्रुटियां मुख्यतः जीएसटीआर 3बी में आईटीसी, आरसीएम के तहत जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 9 में आईटीसी, कर देयता आदि की घोषणा से संबंधित थी।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिया गया हैः

वृत डी कोटा के अंतर्गत भाटिया कॉलोनाइजर्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AADCB0457G1ZX) ने जीएसटीआर 2ए में ₹ 0.49 करोड़ रुपये की आईटीसी की उपलब्धता के समक्ष जीएसटीआर 3बी में ₹ 3.19 करोड़ की आईटीसी के लाभ को घोषित किया था। आईटीसी के उपभोग में मिसमैच पर लेखापरीक्षा आक्षेप जारी किया गया और विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि मार्च 2018 की जीएसटीआर 3बी लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत तरीके से दाखिल की गयी थी, तथापि, आईटीसी के अधिक उपभोग को अप्रैल 2018 की अवधि की जीएसटीआर 3बी दाखिल करते समय उपयोग में लिए बिना रिवर्स कर दिया था।

(II) अपात्र आईटीसी का लाभ उठाने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अधिनियम की धारा 16 माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जिसका उसके व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है। अधिनियम की धारा 17(5) उन माल और आपूर्तियों[30] की एक सूची प्रदान करती है जिन पर आईटीसी का लाभ नहीं उठाया जा सकता है सिवाय इसके कि जब जावक कर योग्य आपूर्ति समान श्रेणी की सेवाओं की हो।

लेखापरीक्षा ने सात प्रकरणों में (47 नमूना प्रकरणों में से जहां अभिलेख प्रस्तुत किए थे) गैर-अनुपालना देखी वहां करदाताओं ने ₹ 1.44 करोड़ की अपात्र आईटीसी का लाभ उठाया था। कमियाँ मुख्य रूप से उन माल और सेवाओं की आपूर्ति पर आईटीसी प्राप्त करने के कारण थी जिनका उपयोग उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था और अवरुद्ध माल पर क्रेडिट प्राप्ति के कारण था। (परिशिष्ट 2.9)

---

29 आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 142(1) (ए) के अनुसार कारण बताओ नोटिस के रूप में जीएसटी डीआरसी - 01 जारी किया जाता है।

30 मोटर वाहनों के संबंध में तेरह से अधिक नहीं, व्यक्तियों (ड्राइवर सहित) के परिवहन, बीमा की सेवाएं, मरम्मत और रखरखाव, मोटर वाहनों की सेवाएं और खाद्य और पेय पदार्थो, बाहरी खानपान, सौंदर्य उपचार, मोटर वाहनों को किराए पर लेना या पट्टे पर देना आदि की माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होगी।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि सभी प्रकरणों में नोटिस जारी कर दिये गये हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

अपात्र आईटीसी प्राप्त करने के तीन बड़े प्रकरणों की राशि ₹ 1.33 करोड़ थी। दो उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे दिये गए हैंः

i. वृत्त शाहजहांपुर के अंतर्गत, एक करदाता यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCU0113A1Z7) के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता ने माल या सेवाओं या दोनों जैसे कि मोटर वाहनों की सर्विसिंग/किराए पर लेना, उनकी मरम्मत और रखरखाव पर व्यय ₹ 0.88 करोड़ की आईटीसी प्राप्त की थी जैसा कि सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) में निर्दिष्ट है और अन्य माल या सेवाएं या दोनों जिनका सीजीएसटी/आरजीएसटी की धारा 16 के अनुसार व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग नहीं किया गया था या उपयोग नहीं करना आशयित था। तथापि, करदाता ने धारा 17(5) के तहत न तो जीएसटीआर 9 के कॉलम 7(ई) में और न ही जीएसटीआर 3बी में किसी रिवर्सल को बताया था। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

ii. वृत ए, भिवाड़ी के अंतर्गत, एक करदाता जिलेट इंडिया लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACI3924J1ZK) के संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि करदाता ने माल या सेवाओं या दोनों जैसे खाद्य और पेय पदार्थ, व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुओं पर ₹ 0.36 करोड़ की आईटीसी प्राप्त की थी जैसा कि सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) में निर्दिष्ट है और अन्य माल या सेवाएं या दोनों जिनका सीजीएसटी/आरजीएसटी की धारा 16 के अनुसार व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग नहीं किया गया था या उपयोग नही करना आशयित था। तथापि, करदाता ने धारा 17(5) के तहत न तो जीएसटीआर 9 के कॉलम 7(ई) में और न ही जीएसटीआर 3बी में किसी रिवर्सल को बताया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था । इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(III) आगत कर रिवर्सल का अभाव / कम रिवर्स किया जाना

(i) आरजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) सपठित आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के अनुसार, जहां माल या सेवाओं अथवा दोनों का उपयोग पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अंशतः शून्य दर आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के लिए एवं अंशतः कर मुक्त आपूर्ति को करने के लिए किया जाता है, वहां क्रेडिट की राशि आगत कर के उस भाग तक सीमित रहेगी, जो

शून्य-दर आपूर्ति सहित उक्त कर योग्य आपूर्ति के कारण है। आगतों अथवा आगत सेवाओं के संबंध में आगत कर क्रेडिट के निर्धारण व उसके रिवर्सल का तरीका[31] पूर्वोक्त नियम 42 में निर्दिष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा में नौ प्रकरणों में (47 नमूना प्रकरणों में से जहां अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे), अनुपालना का अभाव देखा गया जहां करदाताओं द्वारा नियम 42 को गलत लागू करने के कारण ₹ 3.44 करोड़ के आगत कर को रिवर्स नहीं किया गया था (परिशिष्ट 2.10)।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि दो प्रकरणों[32] (₹ 0.24 करोड़ शामिल) के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे और पांच प्रकरणों (₹ 3.03 करोड़ शामिल) के संबंध में संबंधित पांच वृत्त अधिकारियों को अनुपालन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, एक प्रकरण[33] में ₹ 0.001 करोड़ की वसूली की गई थी जबकि एक प्रकरण[34] (₹ 0.16 करोड़ शामिल) के संबंध में यह कहा गया था कि माल की आपूर्ति पर कोई आगत कर लाभ नहीं लिया गया था तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लिये गये और उपयोग किये गये आगत कर लाभ (₹ 0.008 करोड़) को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ब्याज सहित रिवर्स कर दिया गया था। तथापि, इन दोनों उत्तरों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष तीन अनियमितताओं में ₹ 2.76 करोड़ की राशि की अनियमितता शामिल है। उदाहरण स्वरूप कुछ प्रकरण निम्न प्रकार दर्शाए गए हैं:

---

31 सामान्य क्रेडिट को 'सी' के रूप में दर्शाया गया है और इसकी गणना निम्न प्रकार की गई है-
सी= टी- (टी 1+ टी 2+ टी 3+ टी 4)
जहाँ टी, एक कर अवधि में आगतो एवं आगत सेवाओं पर शामिल कुल आगत कर के रूप में दर्शाया जावेगा, 'टी' में से आगत कर की राशि जो व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से उपयोग किये जाने वाले आगत एवं आगत सेवाओं पर लागू होगी, को 'टी1' के रूप में दर्शाया जायेगा। 'टी' में से आगत कर की राशि, जो विशेष रूप से छूट प्राप्त आपूर्तियों के लिए उपयोग किये जाने वाले आगत और आगत सेवाओं के लिए उपयुक्त है, को 'टी2' के रूप में दर्शाया जायेगा। उन आगत एवं आगत सेवाओं के सम्बन्ध में, जिन पर धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन क्रेडिट उपलब्ध नहीं है, 'टी' में से आगत कर की राशि को 'टी3' से दर्शाया जायेगा। आगत एवं आगत सेवाओं के लिए आईटीसी की राशि, जिसका उपयोग छूट प्राप्त आपूर्तियों के अलावा अन्य आपूर्तियों के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें शून्य दर वाली आपूर्तियाँ शामिल हैं, को 'टी4' के रूप में दर्शाया जावेगा। छूट प्राप्त आपूर्ति पर आईटीसी की राशि को 'डी' के रूप में दर्शाया गया है तथा इसकी गणना इस प्रकार की गई है।
डी = (ई/एफ) X सी
जहाँ, 'ई' कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त आपूर्ति का कुल मूल्य है, तथा 'एफ' कर अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्ति का राज्य में कुल टर्नओवर है।

32 वृत्त ए भिवाडी एवं ए जयपुर-IV।

33 वृत्त डी भीलवाड़ा।

34 वृत्त ए जयपुर-IV।

(अ) लेखापरीक्षा में देखा गया कि वृत्त सी जोधपुर II के अंतर्गत एक करदाता, अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCS1848L1Z2) वर्ष 2017-18 के दौरान कर योग्य के साथ ही कर मुक्त माल की आपूर्ति में कार्यरत था। जीएसटीआर 3बी में, करदाता द्वारा ₹ 9.57 करोड़ के कर मुक्त टर्नओवर और ₹ 34.02 करोड़ के कुल टर्नओवर की घोषणा की गई। तथापि, करदाता द्वारा उसके द्वारा की गई माल अथवा सेवाओं की सभी आपूर्तियों पर ₹ 4.39 करोड़ के एक सामान आगत कर का लाभ लिया गया एवं जीएसटीआर 3बी के कॉलम 4बी (1) में आगत कर के किसी भी रिवर्सल की घोषणा नहीं की गई। इसलिए, करदाता द्वारा पूर्वोवत नियम 42 के तहत निर्धारित तरीके से गणना अनुसार कर मुक्त आपूर्ति पर ₹ 1.24 करोड़ के आगत कर को रिवर्स किये जाने की आवश्यकता है।

(ब) लेखापरीक्षा में देखा गया कि वृत्त डी जोधपुर II के अंतर्गत एक करदाता, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCH2668B1ZU), वर्ष 2017-18 के दौरान कर योग्य के साथ ही कर मुक्त माल की आपूर्ति में कार्यरत था। जीएसटीआर 3बी में, करदाता द्वारा ₹ 6.56 करोड़ के करमुक्त टर्नओवर और ₹ 559.92 करोड़ के कुल टर्नओवर की घोषणा की गई। करदाता द्वारा उसके द्वारा की गई माल अथवा सेवाओं की सभी आपूर्तियों पर ₹ 92.15 करोड़ के एक सामान आगत कर का लाभ लिया गया। तथापि, करदाता द्वारा जीएसटीआर 3बी के कॉलम 4बी (1) में आईटीसी के किसी भी रिवर्सल की घोषणा नहीं की गई। इसलिए, करदाता द्वारा पूर्वोक्त नियम 42 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से गणना के अनुसार, कर मुक्त आपूर्ति पर ₹ 1.08 करोड़ के आगत कर को रिवर्स किये जाने की आवश्यकता है।

(स) लेखापरीक्षा में देखा गया कि वृत्त ई जोधपुर II के अंतर्गत, एक करदाता, दयावान स्टील यार्ड (जीएसटीआईएनः 08ABFPB6954J1ZH) वर्ष 2017-18 के दौरान कर योग्य के साथ-साथ कर मुक्त माल वाली आपूर्ति में कार्यरत था। जीएसटीआर 3बी में, करदाता द्वारा ₹ 1.25 करोड़ के करमुक्त टर्नओवर और ₹ 17.21 करोड़ के कुल टर्नओवर की घोषणा की गई। करदाता द्वारा उसके द्वारा की गई माल अथवा सेवाओं की सभी आपूर्तियों पर ₹ 6.07 करोड़ के एक सामान आगत कर का लाभ लिया गया था। तथापि, करदाता द्वारा जीएसटीआर 3बी के कॉलम 4बी (1) में आगत कर के किसी भी रिवर्सल की घोषणा नहीं की गई। इसलिए, करदाता द्वारा पूर्वोक्त नियम 42 के अंतर्गत निर्धारित तरीके से गणना अनुसार कर मुक्त आपूर्ति पर ₹ 0.44 करोड़ के आगत कर को रिवर्स किये जाने की आवश्यकता है।

उक्त प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार के ध्यान में लाये गये (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(ii) आगत कर का कम रिवर्स किया जाना

अधिनियम की धारा 17(4) के अनुसार, एक बैंकिंग कंपनी या एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित एक वित्तीय संस्थान, जो निक्षेपों को स्वीकार करने, ऋण या अग्रिम देने के माध्यम से

सेवाओं की आपूर्ति करने में लगी हुई है, के पास उप-धारा 17 (2)[35] के प्रावधानों का पालन करने का या प्रत्येक माह, उस माह में आगतों, पूंजीगत माल और आगत सेवाओं पर पात्र आईटीसी के पचास प्रतिशत के बराबर राशि का उपभोग करने का विकल्प होगा तथा शेष राशि व्यपगत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, धारा 17(4) के प्रथम परन्तुक के अनुसार एक बार उपयोग मे लिए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान वापस नहीं लिया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर निम्न प्रकार चर्चा की गई है:

लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि वृत्त सी, जयपुर- II के अंतर्गत, करदाता, मैसर्स श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (वित्तीय कंपनी) (जीएसटीआईएनः 08AAACS7018R1ZT) द्वारा जीएसटीआर 9 की तालिका 6बी व 6सी में आवक आपूर्ति पर आईटीसी का दावा किया गया, जिसकी राशि सीजीएसटी ₹ 43.62 लाख, एसजीएसटी ₹ 43.62 लाख और आईजीएसटी ₹ 50.98 लाख थी। करदाता द्वारा जीएसटीआर 9 की तालिका 7एच में अधिनियम की धारा 17(4) के अंतर्गत आगत कर राशि सीजीएसटी ₹ 21.81 लाख, एसजीएसटी ₹ 21.81 लाख और आईजीएसटी ₹ 3.55 लाख, को रिवर्स कर दिया गया। आईजीएसटी के अंतर्गत ₹ 25.49 लाख (₹ 50.98 लाख का 50 प्रतिशत) के स्थान पर केवल ₹ 3.55 लाख आगत कर रिवर्स किया गया था। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आईजीएसटी के अंतर्गत ₹ 21.94 लाख की आगत कर राशि का कम रिवर्सल हुआ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

(IV) आगत कर का अधिक लाभ लिए जाने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए और धारा 49 में निर्दिष्ट रीति से उसको किये गये ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रभारित आगत कर का लाभ लेने का हकदार होगा, जिसका उसके व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है, तथा उक्त राशि उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में जमा की जाएगी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर निम्न प्रकार चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि वृत्त आई, जयपुर- I के अंतर्गत करदाता, मैसर्स कमल ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AADCK7842G1ZD) द्वारा जीएसटीआर-3B के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत ₹ 10.08 करोड़ की राशि का आगत कर लाभ लिया गया तथा इसे करदाता के ईसीएल में जमा किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-9 में क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत ₹ 9.86 करोड़ का

35 जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनो का उपयोग अंशतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य-दर आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के लिए और अंशतः उक्त अधिनियम के अधीन कर मुक्त आपूर्ति को करने के लिए किया जाता है, वहां क्रेडिट की राशि उतने आगत कर तक सीमित रहेगी, जितनी कि शून्य-दर आपूर्तियों सहित उक्त कर योग्य आपूर्तियों के लिए है।

ही आगत कर वास्तव में उपलब्ध था। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति उपकर के अंतर्गत ₹ 0.22 करोड़ की राशि के अतिरिक्त आगत कर का लाभ लिया गया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

(ii) आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति, मौजूदा कानून के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में आगे ले जाये गये वैट की राशि का क्रेडिट लेने का हकदार होगा। लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर निम्न प्रकार चर्चा की गई है।

वृत्त ए, जयपुर- II के अंतर्गत करदाता, मैसर्स श्री अग्रवाल ब्रदर्स जीएसटीआईएनः08ACTPM0139M1Z3) द्वारा प्रस्तुत विवरणी की जांच के दौरान देखा गया कि करदाता द्वारा वर्ष अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान जीएसटीआर-9 सी के साथ संलग्न व्यापार खाते में ₹13.68 करोड़ की कुल खरीद दर्शायी, जिसमें अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 10.34 करोड़ की खरीद भी शामिल थी जो कि पूर्ववर्ती रिटर्न वैट 10ए में दर्शायी गयी थी। तथापि, अग्रिम जांच में ज्ञात हुआ कि करदाता द्वारा 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9सी में ₹ 3.34 करोड़ (₹ 13.68 करोड़ - ₹ 10.34 करोड़) की खरीद पर आईटीसी का दावा करने के स्थान पर ₹ 4.70 करोड़ की खरीद पर ₹ 1.13 करोड़ की आईटीसी का दावा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ की खरीद पर कुल ₹ 0.38 करोड़ (सीजीएसटी ₹ 0.19 करोड़ तथा एसजीएसटी ₹ 0.19 करोड़) का अतिरिक्त आगत कर का लाभ लिया गया, जो जीएसटी अवधि से संबंधित नहीं था।

ध्यान में लाये जाने पर, क्षेत्राधिकारी द्वारा उत्तर दिया गया (जून 2022) कि आईटीसी की पात्रता आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 16 के अनुरूप थी तथा इसका दावा जीएसटीआर 3बी के माध्यम से किया जा रहा था। तथापि, उक्त दावे के समर्थन में जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए आईटीसी लेजर एवं व्यापार खाता उपलब्ध नहीं करवाया गया था।प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

(V) सेवा के आयात पर आईजीएसटी के भुगतान का अभाव से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (11) के अनुसार ''सेवाओं का आयात'' का अर्थ है किसी भी सेवा की आपूर्ति, जहां (i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है; (ii) सेवा प्राप्तकर्ता भारत में स्थित है; और (iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत में है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना संख्या 10/2017 आईटी (आर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सेवा के आयात पर आईजीएसटी देय है। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर चर्चा नीचे की गई है।

करदाता, मैसर्स टोकाई इंपीरियल हाइड्रॉलिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः08AADCT9702E1ZD) वृत्त-शाहजहाँपुर की लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि 17 नवंबर 2016 को करदाता एवं एक लाइसेंसर (सुमीरिको होसेटेक्स लिमिटेड, क्योटो, जापान का एक निगम) के मध्य पांच वर्ष के लिए एक समझौता किया गया था, जिसमें यह सहमति हुई थी कि करदाता लाइसेंसर को, लाइसेंसर के विशेष ज्ञान के साथ ही उसके द्वारा दी जाने वाली तकनीकी जानकारी के अंतर्गत लाइसेंस देने के लिए उत्पाद की कुल शुद्ध ब्रिकी पर तीन प्रतिशत की दर से गणना करके रॉयल्टी का भुगतान करेगा। जीएसटीआर 9 के विवरणानुसार करदाता की शुद्ध बिक्री ₹ 19.07 करोड़ थी, जिस पर लाइसेंसकर्ता को ₹ 57.20 लाख (₹ 19.07 करोड़ पर तीन प्रतिशत) की रॉयल्टी देय थी, तथापि, आरसीएम के अंतर्गत रॉयल्टी पर देय ₹ 10.30 लाख की आईजीएसटी[36] का भुगतान नहीं किया गया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

(VI) आईटीसी रिवर्सल एवं कर देयता के निर्वहन के सत्यापन का अभाव से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विवरणियों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए, तथा विवरणियों में पाई गई किसी भी विसंगति अथवा असंगतता पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

यह देखा गया कि दो करदाताओं[37] द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 10 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष (2018-19) के दौरान क्रमशः ₹ 7.37 लाख और ₹ 69.94 लाख की कर देयता का निर्वहन किया गया। इसके अतिरिक्त, एक करदाता[38] द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 12 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 7.74 लाख की आईटीसी को रिवर्स किया गया। तथापि, इन करदाताओं द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3बी के संबंधित माह को नहीं दर्शाया, जिसमें कि उपरोक्त कर देयता का निर्वहन किया गया था तथा आगत कर को रिवर्स किया गया था। इसके अतिरिक्त, कर के विलंबित भुगतान/ आईटीसी रिवर्सल पर देय ब्याज का भुगतान भी करदाताओं द्वारा नहीं किया गया था। विभाग को अगले वित्तीय वर्ष में ₹ 85.05 लाख की राशि के कर के भुगतान/ आईटीसी रिवर्सल को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ सत्यापित करने की आवश्यकता है।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

---

36 18 प्रतिशत की दर से।

37 जीएसटीआईएनः 08AADFE4760C1ZQ (वृत्त जी जयपुर-IV) एवं जीएसटीएनः 08AAACS7018R1ZT (वृत्त सी जयपुर-II)।

38 जीएसटीआईएनः 08AADFE4760C1ZQ (वृत्त जी जयपुर-IV)।

(VII) अंतिम स्टॉक कम घोषित किये जाने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि एक करदाता[39] द्वारा ट्रांजिशनल क्रेडिट (सीजीएसटी एवं एसजीएसटी) का दावा किया गया एवं ट्रॉन-1 में अंतिम स्टॉक घोषित किया गया। पूर्ववर्ती वार्षिक विवरणी वैट 10ए (जो राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी) तथा ट्रॉन-1 (जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया) के प्रति सत्यापन से ज्ञात हुआ कि करदाता द्वारा 30 जून 2017 को ट्रॉन-1 में ₹ 5.84 करोड़ के अंतिम स्टॉक के समक्ष वैट 10ए में ₹ 6.83 करोड़ का अंतिम स्टॉक घोषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 01 जुलाई 2017 को जीएसटी व्यवस्था में ₹ 0.99 करोड़ की राशि के स्टॉक का कम अग्रेषण किया गया। इस बात का जोखिम है कि ऐसे स्टॉक की बिक्री पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया हो तथा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

ध्यान में लाये जाने पर, क्षेत्राधिकारी ने बताया (जून 2022) कि करदाता द्वारा स्टॉक में रखे इनपुट[40] पर सीजीएसटी के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया था, जहां शुल्क भुगतान किये गए इनवॉयस उपलब्ध थे। आगे यह भी बताया गया कि ट्रॉन-1 में स्टॉक के विवरण की तुलना वैट-10ए अन्तिम स्टॉक में दर्शाए गए कुल स्टॉक के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि धारा 140 के अनुसार ट्रॉन-1 क्रेडिट पात्रता के लिए 12 माह से पूर्वोत्तर जारी किए गए चालान की आवश्यकता नही है तथा वैट-10ए अन्तिम स्टॉक में सभी अन्तिम स्टॉक शामिल हैं। तथापि, उचित अधिकारी द्वारा इस तरह के दावे की पुष्टि करने अथवा क्रेडिट की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कोई भी सहायक दस्तावेज अर्थात व्यापार खाता (जुलाई 2017 से मार्च 2018), अन्तिम स्टॉक से संबंधित इनवॉयस इत्यादि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

2.3.8.3 अन्य प्रकरण जहां लेखापरीक्षा द्वारा अपर्याप्त अभिलेखों के कारण जांच पूरी नहीं की जा सकी

लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणी अथवा विभाग द्वारा प्रस्तुत करदाताओं के अभिलेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं/मिसमैच भी देखे। तथापि, विभाग द्वारा प्रदान किए गए अपर्याप्त अभिलेखों/सूचना के कारण लेखापरीक्षा द्वारा इन प्रकरणों में कर देयता अथवा अपात्र आईटीसी का पता नहीं लगाया जा सका।

(I) संबंधित व्यक्ति से प्राप्त आपूर्ति को शामिल करने का अभाव

अधिनियम की धारा 9(3) व 9 (4) के साथ पठित अधिसूचना क्रमांक 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार किसी कंपनी के निदेशक द्वारा कर योग्य क्षेत्र में स्थित

39 जीएसटीआईएनः 08ACTPM0139M1Z3 वृत्त ए जयपुर-II।

40 मूल्य ₹ 54.78 लाख।

उक्त कंपनी को आपूर्ति की गई सेवाओं के प्रकरण में[41] सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा आरसीएम पर जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, धारा 7(1) (सी) सपठित अधिनियम की अनुसूची-I में प्रावधान है कि संबंधित व्यक्तियों के बीच सेवाओं की आपूर्ति को आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, चाहे वह बिना किसी प्रतिफल के की गई हो। बैंक ऋण के लिए व्यक्तिगत वित्तीय गारंटी जीएसटी के अंतर्गत एक कर योग्य सेवा है। आगे, बैंक ऐसी बैंक गारंटी के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर शुल्क लेता है। इसलिए, इस तरह के कमीशन/फीस के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रभारित की गई दर को खुले बाजार मूल्य निर्धारित[42] करने के लिए माना जाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा चार प्रकरणों में अनुपालना की कमियां देखीं गईं जिनमें करदाताओं द्वारा बैंक ऋणों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय गारंटी पर आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया। आरसीएम भुगतान के मिलान विवरण के अभाव में, आक्षेप वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों पर आधारित है (परिशिष्ट 2.11)।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि तीन प्रकरणों में नोटिस[43] जारी कर दिये गये हैं तथा शेष प्रकरण में संबंधित वृत्त अधिकारी[44] को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

उदाहरण स्वरूप एक प्रकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

वृत्त ए, भिवाड़ी के अंतर्गत अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACA0062F1ZA) के प्रकरण में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि इकाई के निदेशकों द्वारा करदाता की बैलेंस शीट के अनुसार 2017-18 के दौरान ₹ 68.86 करोड़ की वित्तीय गारंटी[45] दी गई थी। लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि करदाता द्वारा बैंक ऋणों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय गारंटी पर आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान नहीं किया, जो अधिनियम के अंतर्गत देय था। इसके अतिरिक्त, आरसीएम भुगतान के मिलान विवरण और पूर्व-जीएसटी अवधि (अप्रैल से जून 2017) से संबंधित ऋण राशि के विस्तृत अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा आरसीएम के अंतर्गत कर योग्य मूल्य और कर देयता का निर्धारण नहीं किया जा सका। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। प्रत्युत्तर

41 आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (102) के अनुसार "सेवाओं" से आशय कुछ भी जो माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक मुद्रा या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, मुद्रा या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

42 आरजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 28(बी) के अंतर्गत मूल्यांकन के लिए 2.3 प्रतिशत।

43 वृत्त ए भिवाड़ी एवं ए जयपुर IV।

44 वृत्त डी जोधपुर II।

45 यह सेवा वित्तीय सेवाओं एवं संबंधित सेवाओं-एस ए सी 9971 के अन्तर्गत वर्गीकृत है जिस पर (अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) के क्रम संख्या 15 (vii) दिनांक 28.06.2017 यथा संशोधित) 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय है।

में, राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

सिफारिश 4: विभाग राजस्व की किसी भी हानि से बचने के लिए लेखापरीक्षा को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करा सकता है तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रकरणों की जांच कर सकता है।

(II) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी के भुगतान का अभाव

अधिनियम की धारा 9(3) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की उन श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है, जिन पर कर का भुगतान ऐसी माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9(4) में पंजीकृत व्यक्तियों की एक श्रेणी दी गई है, जो एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की निर्दिष्ट श्रेणियों के माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करेंगे। अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त सभी आपूर्तियों को धारा 9(4) के अंतर्गत 13 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018[46] तक रिवर्स चार्ज से छूट प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा में करदाताओं द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत गलत तरीके से कर भुगतान के कारण छह प्रकरणों में अनुपालना की कमियां देखीं, तथापि, आरसीएम भुगतान से संबंधित विवरणों के अभाव में आक्षेप वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों पर आधारित है। (परिशिष्ट 2.12)।

लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि *पांच वृत्तों से संबंधित छह* करदाताओं को अपंजीकृत व्यक्तियों से परिवहन, माल ढुलाई, कानूनी परामर्श और आपूर्ति से संबंधित सेवाओं की आवक आपूर्ति प्राप्त हुई, जिस पर आरसीएम के अंतर्गत ₹ 1.60 करोड़ का जीएसटी देय था। तथापि, विवरणों, जैसे कि आरसीएम भुगतान के मिलान विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि करदाता द्वारा आक्षेपित नही चुकायी गयी कर देयता का भुगतान किया गया था अथवा नहीं।

(III) अग्रिमों पर जीएसटी का भुगतान

अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानानुसार सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्न तिथियों में से जो सबसे पहले हो, होगा, अर्थात् (ए) आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवॉयस जारी करने की तिथि, यदि इनवॉयस धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया हो अथवा भुगतान प्राप्त होने की तिथि, जो भी पहले हो; अथवा (बी) सेवा उपलब्ध कराने की तिथि, यदि इनवॉयस धारा 31 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं किया गया हो अथवा भुगतान की प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो; अथवा (सी) उस प्रकरण में, जहां खंड (क) अथवा खंड (ख) के प्रावधान

---

46 अधिसूचना संख्या 38/2017-सीटी (आर) दिनांक 13.10.2017।

लागू नहीं होते हैं, वह दिनांक, जिसको प्राप्तकर्ता अपने लेखा पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शाता है। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर चर्चा नीचे की गई हैः

लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि सर्किल-सी भिवाड़ी के अंतर्गत करदाता, मैसर्स सलारिया बिल्डर्स (सेवा प्रदाता) (08AAPPS0297N1ZS) द्वारा बैलेंस शीट में ₹ 13.04 करोड़ के चालू दायित्वों को "ग्राहकों से अग्रिम" के रूप में दर्शाया गया था। करदाता के पास एक ही पैन पर कई पंजीकरण थे। करदाता द्वारा अपने जीएसटीआर 1 में ₹ 3.04 करोड़ के अग्रिमों को दर्शाया था। बैलेंस शीट में दर्शायी अग्रिम राशि के इकाइयों के मध्य विभाजन के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित इकाई से संबंधित अग्रिम और उस पर कर देयता का निर्धारण नहीं किया जा सका।प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

IV: आग से नष्ट हुए माल पर आगत कर कम रिवर्स किया जाना।

अधिनियम की धारा 17(5) (एच) के अनुसार माल खोने, चोरी होने, नष्ट होने, उपहार या मुफ्त नमूनों के माध्यम से अपलिखित या निपटाये जाने जैसे विशिष्ट प्रकरणों के संबंध में आगत कर लाभ देय नहीं होगा। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए एक लेखापरीक्षा आक्षेप पर चर्चा नीचे की गई है।

लेखापरीक्षा जांच के दौरान, यह देखा गया कि वृत्त- शाहजहांपुर के अंतर्गत करदाता, मैसर्स यूनिचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCU0113A1Z7) की वर्ष 2017-18 के लिए बैलेंस शीट के अनुसार आग से ₹ 642.13 करोड़ की हानि हुई थी। इसलिए, आग से नष्ट हुए आगत, पूंजीगत सामान, प्रक्रियाधीन सामान, तैयार माल आदि पर आईटीसी को अक्टूबर 2017, जिसमें ऐसा नुकसान हुआ था, के माह के लिए नियमित विवरणी दाखिल करते समय उस सीमा तक रिवर्स करना आवश्यक था।

उपलब्ध अभिलेखों की अग्रिम जांच से ज्ञात हुआ कि करदाता द्वारा जीएसटीआर-9 में ऐसे केवल ₹ 139.75 करोड़ मूल्य के माल पर ₹ 16.18 करोड़ का आईटीसी ही रिवर्स किया गया था। ₹ 502.38 करोड़ मूल्य के शेष माल में शामिल आईटीसी के रिवर्स किये जाने के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे शेष माल पर आईटीसी के रिवर्सल की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2024)।

V: **कर देयता में मिसमैच**

लेखापरीक्षा के दौरान जांच किए गए 100 प्रकरणों में से ₹ 9.75 करोड़ की कर देयता में विचलन/मिसमैच से सम्बंधित 49 प्रकरण देखे गए । ये कमियां मुख्य रूप से जीएसटीआर –1 एवं जीएसटीआर 9/3बी में भुगतान किए गए कर के बीच मिसमैच होने के कारण हुई थीं । इन आक्षेपों में कर देयता ₹ 0.01 लाख से ₹ 198.97 लाख तक है । इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर 1 एवं 9 में घोषित संशोधनों तथा अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया । (परिशिष्ट 2.13)

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि 21 प्रकरणों[47] (₹ 4.55 करोड़ शामिल) के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे, एक प्रकरण[48] (₹ 0.21 करोड़ शामिल) में जांच की जा रही थी, एक प्रकरण[49] (₹ 0.18 करोड़ शामिल) में डीआरसी-01ए जारी किया गया था, 14 प्रकरणों (₹ 3.42 करोड़) के संबंध में संबंधित 11 वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे । एक प्रकरण[50] में (₹ 0.10 करोड़ शामिल), लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने से पहले/बाद में कर देयता का भुगतान/निस्तारण कर दिया गया था ।

आगे यह भी बताया गया कि दो प्रकरणों[51] में (₹ 1.09 करोड़ शामिल) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से पूर्व ही कर देयता को रिवर्स/भुगतान कर दिया गया था तथा सात प्रकरणों[52] (₹ 0.04 करोड़ शामिल) में लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर वसूली कर ली गई थी जबकि एक प्रकरण [53] (₹ 0.06 करोड़ शामिल) में अंतर तकनीकी त्रुटि के कारण था । एक प्रकरण में [54] (₹ 0.10 करोड़ शामिल), यह कहा गया था कि आरसीएम के अंतर्गत प्राप्तकर्ता द्वारा कर देयता का निस्तारण कर दिया गया था । तथापि, इन 11 प्रकरणों के समर्थन में सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष तीन अनियमितताओं में ₹ 3.79 करोड़ की राशि का विचलन शामिल था। उदाहरण स्वरुप कुछ प्रकरण निम्न प्रकार वर्णित किए गए हैं:

(i) लेखापरीक्षा के दौरान, देखा गया कि वृत्त ई, झालावाड़, कोटा के अंतर्गत करदाता मैसर्स प्लेटिनम टेक्सटाइल्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCN1537H1ZM) के प्रकरण में, जीएसटीआर 1 के अनुसार देय कर ₹ 10.12 करोड़ था तथा जीएसटीआर 9 के अनुसार ₹ 10.36 करोड़ (₹ 0.07 करोड़ की आरसीएम देनदारी सहित) कर देय था । जीएसटीआर 9 के अनुसार अधिक कर ₹ 10.36 करोड़ का मिलान, भुगतान किए गए ₹ 8.38 करोड़ के कर

47 17 वृत्तों से संबंधित ।
48 वृत्त ए जयपुर II ।
49 वृत्त बी भिवाड़ी ।
50 वृत्त ए राजसमंद ।
51 वृत्त निंबाहेड़ा, एवं बी अजमेर ।
52 वृत्त सी एवं डी भीलवाड़ा, ए व बी उदयपुर, बी जयपुर IV, किशनगढ़ एवं ई उदयपुर ।
53 वृत्त एच जयपुर II ।
54 वृत्त निम्बाहेड़ा ।

से किया गया। इस प्रकार, ₹ 1.98 करोड़ की कर देयता का मिसमैच रहा जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया था (जनवरी 2023)। उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था; तथापि विभाग द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नोटिस किस धारा के अंतर्गत जारी किया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ii) वृत्त सी, जयपुर III के अंतर्गत, एक करदाता, मैसर्स नवदुर्गा इलेक्ट्रो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AACCN4450C1ZT) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 1/जीएसटीआर 9 के अनुसार देय कर ₹ 4.26 करोड़ था। जीएसटीआर 9 के अनुसार कर देयता ₹ 4.26 करोड़ की तुलना भुगतान किए गए कर ₹ 3.17 करोड़ से की गई थी। इस प्रकार, ₹ 1.09 करोड़ की कर देयता का मिसमैच रहा, जिसके संबंध में विभाग एवं राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(iii) वृत्त डी, जोधपुर II के अंतर्गत करदाता मैसर्स रघुराज सिंह तेजवीर सिंह (जीएसटीआईएनः 08ABPPS7358P1ZE) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीएसटीआर 1 के अनुसार देय कर ₹ 5.34 करोड़ था (आरसीएम के अंतर्गत कर देयता ₹ 0.41 करोड़ सहित) तथा जीएसटीआर के अनुसार ₹ 4.62 करोड़ (आरसीएम के अंतर्गत कर देयता ₹ 0.41 करोड़ सहित) कर देय था। कर देयता के अधिक वाले हिस्से ₹ 5.34 करोड़ की तुलना जीएसटीआर 9 के अनुसार ₹ 4.62 करोड़ के भुगतान किए गए कर से की गई, जिसके परिणामस्वरूप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के मध्य ₹ 0.72 करोड़ की कर देयता का मिसमैच रहा, जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(VI) इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा क्रय किये गये माल एवं/अथवा सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने हेतु किया जाता है। करों के सोपानन/कास्केडिंग प्रभाव को रोकने के लिए, आगत आपूर्तियों पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्तियों पर करों के भुगतान को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है।

(अ) आईटीसी उपभोग में मिसमैच

उपलब्ध विवरणियों की जांच से ज्ञात हुआ कि 100 करदाताओं के लेखापरीक्षा नमूने में से 82 करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी की तुलना में मासिक/वार्षिक विवरणी में अधिक आईटीसी का उपभोग किया गया । इन आक्षेपों में प्राप्त आईटीसी में मिसमैच राशि ₹ 0.02 लाख से ₹ 11,635.15 लाख तक है, जो 82 प्रकरणों में कुल ₹ 259.02 करोड़ है । तालिका 4ए (5) में मिसमैच आईटीसी उपभोग का निर्धारण जीएसटीआर 3बी की तालिका 4बी (2) में रिवर्सल को छोड़कर किया गया था, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से प्राप्त आईटीसी को शामिल किया गया था । (परिशिष्ट 2.14)

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि 35 प्रकरणों (₹ 55.81 करोड़ शामिल)[55] के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे तथा 30 प्रकरणों (₹ 184.98 करोड़ शामिल) के संबंध में संबंधित 15 वृत्त अधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे । चार प्रकरणों[56] में (₹ 10.44 करोड़ शामिल) डीआरसी-01/डीआरसी-07 जारी किए गए थे । एक प्रकरण[57] में (₹ 0.44 करोड़), करदाता द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से पूर्व ही अधिक आईटीसी को रिवर्स/जमा कर दिया गया था । दो प्रकरणों[58] में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर ₹ 0.24 करोड़ की वसूली की गई थी ।

पांच प्रकरणों[59](₹ 5.30 करोड़) में, करदाताओं द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से पूर्व ही अधिक आईटीसी को रिवर्स/जमा कर दिया गया था तथा चार प्रकरणों में (₹ 1.69 करोड़ शामिल)[60] अंतर तकनीकी त्रुटि के कारण था । एक प्रकरण[61] में (₹ 0.12 करोड़ शामिल), ₹ 0.06 करोड़ पूर्व में ही रिवर्स कर दिये गए थे तथा ₹ 0.02 करोड़ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर रिवर्स किए गए थे । तथापि, इन 10 प्रकरणों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस श्रेणी में देखी गई शीर्ष पांच अनियमितताओं में ₹ 173.66 करोड़ की राशि का विचलन शामिल है। उदाहरण स्वरुप कुछ प्रकरण निम्न प्रकार वर्णित किए गए हैं:

i. वृत्त सी-जयपुर III के अंतर्गत, लार्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीएसटीआईएनः AAACL0140P7ZD) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में उपलब्ध आईटीसी, जिसमें जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी में बाद के वर्ष 2018-19 में ली गई आईटीसी (₹ 376.15 करोड़) शामिल है, जीएसटीआर 2ए

55 19 वृत्तों से संबंधित ।

56 वृत्त डी भीलवाड़ा, सी जयपुर II, ई उदयपुर और बी श्री गंगानगर ।

57 वृत्त जैसलमेर ।

58 वृत्त सी भीलवाड़ा और डी जयपुर II ।

59 वृत्त ए जयपुर II, ए उदयपुर, निम्बाहेड़ा, ई जोधपुर I और ए राजसमंद ।

60 वृत्त किशनगढ़, ए जयपुर II, बी अजमेर और ई जयपुर ।

61 वृत्त ए राजसमंद ।

(₹259.80 करोड़) के अनुसार उपलब्ध आईटीसी से अधिक थी । इस प्रकार, आईटीसी ₹ 116.35 करोड़ का मिसमैच रहा। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को जांच कर अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

ii. वृत्त बी, कोटा के अंतर्गत जेके सीमेंट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AABCJ0355R1Z7) के प्रकरण में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में उपलब्ध आईटीसी, जिसमें जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी में बाद के वर्ष 2018-19 में ली गयी आईटीसी (₹ 151.94 करोड़) शामिल है, जीएसटीआर 2ए (₹121.64 करोड़) के अनुसार उपलब्ध आईटीसी से अधिक थी। इसलिए, आईटीसी ₹ 30.30 करोड़ का मिसमैच रहा। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

iii. वृत्त सी जयपुर II के अंतर्गत, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 8AAACB2100P1ZX) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में देखा गया कि तालिका 4ए(5) में आईटीसी का लिया गया लाभ, जीएसटीआर 3बी की तालिका 4बी(2) में आईटीसी रिवर्सल को छोड़कर, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से प्राप्त आईटीसी लाभ (₹ 129.82 करोड़) को शामिल करने पर, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (₹ 119.89 करोड़) से अधिक था। इसलिए, ₹ 9.93 करोड़ के आईटीसी का मिसमैच रहा । प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023) । उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत डीआरसी-01ए जारी किया गया था। इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

iv. वृत्त ए, जयपुर IV के अंतर्गत मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAFCM4722P1Z1) के प्रकरण में , लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में आईटीसी का लाभ, तालिका 4बी(2) में आईटीसी रिवर्सल को छोड़कर, लेकिन बाद के वर्ष 2018-19 की जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से प्राप्त आईटीसी लाभ (₹ 25.82 करोड़) को शामिल करने पर, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (₹ 16.93 करोड़) से अधिक था। इसलिए, आईटीसी ₹ 8.89 करोड़ का मिसमैच रहा। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

v. वृत्त ई, कोटा के अंतर्गत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (जीएसटीआईएनः 08AAACT4119L1Z8) के प्रकरण में लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में उपलब्ध आईटीसी, जिसमें बाद के वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी (₹ 46.46

करोड़) से प्राप्त आईटीसी शामिल है, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आइटीसी (₹ 38.27 करोड़) से अधिक था। इस प्रकार आईटीसी ₹ 8.19 करोड़ का मिसमैच रहा। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर में सरकार ने बताया (फरवरी 2023) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 2024)।

(ब) दावा की गयी आईटीसी तथा रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के अंतर्गत भुगतान किए गए कर में मिसमैच

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम), सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) अथवा धारा 9(4) तथा आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) अथवा उप-धारा (4) के अंतर्गत कुछ श्रेणियों की माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्त्ता या प्रदाता के बजाय माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्त्ता पर होता है।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि सात करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ, जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर से अधिक लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.20 करोड़ की राशि के आईटीसी लाभ का मिसमैच रहा (**परिशिष्ट 2.15**)।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2022)। राज्य सरकार ने कहा (फरवरी 2023) कि पांच प्रकरणों[62] (₹ 0.18 करोड़ की राशि) के संबंध में नोटिस जारी किया गया था और एक प्रकरण[63] के संबंध में संबंधित वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए गए थे। शेष प्रकरण[64](₹ 0.02 करोड़ शामिल) में, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने से पूर्व ही अधिक राशि रिवर्स/वसूल कर दी गई थी।

सिफारिशः 5 : इस प्रतिवेदन में लाए गए सभी अनुपालना के विचलनों के अवधि-पार होने के पूर्व ही विभाग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है।

2.3.9 केंद्रीय माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

जीएसटी में जीएसटी के विभिन्न घटक यथा सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी आदि शामिल हैं। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा आक्षेप संघ एवं राज्यों, दोनों के राजस्व को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में दिये गये लेखापरीक्षा आक्षेपों का, केंद्र सरकार के सीजीएसटी राजस्व पर लेखापरीक्षा परिणामों का मौद्रिक प्रभाव **परिशिष्ट 2.16** में दिया गया है।

62 वृत्त ए जयपुर IV, I जयपुर III, ए भिवाड़ी, शाहजहांपुर एवं झालावाड़।

63 राशि ₹ 1,800 शामिल।

64 वृत्त ई जोधपुर।

2.3.10 निष्कर्ष

जीएसटी लागू होने के पहले वर्ष के दौरान विभाग के अनुपालन सत्यापन कार्यों और पंजीकृत करदाताओं द्वारा अनुपालन की सीमा का आंकलन करने के लिए जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाईलिंग पर विभाग की निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) शुरू की गयी।

यह एसएससीए मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित था, जिसमें 2017-18 के लिए प्रस्तुत जीएसटी विवरणियों में जोखिम वाले क्षेत्रों, रेड फ्लेग्स एवं कुछ प्रकरणों में नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया गया था। एसएससीए में दो स्तरों पर राज्य कर क्षेत्राधिकार कार्यालयों (वृत्तों) के निरीक्षण कार्यों का आंकलन किया गया – जिसमें वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर तथा कार्यात्मक स्तर पर वृत्तों एवं जीएसटी विवरणियों, दोनों की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा जिसमें विभागीय परिसर में करदाता के अभिलेखों को प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा नमूने में, डेटा विश्लेषण के माध्यम से चुने गए 13 मापदंडों में 21 वृत्त, 628 उच्च मूल्य विचलन/विसंगतियां एवं जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु जोखिम मूल्यांकन के आधार पर 100 करदाताओं का चयन शामिल था।

21 वृत्तों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा जनवरी 2022 में विवरणियों की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के बाद हाल ही में वर्ष 2017-18 की विवरणियों की जांच शुरू की गई है। इससे पूर्व, जांच प्रक्रिया को मानकीकृत नहीं किया गया था तथा फरवरी 2020 में जारी निर्देशों के आधार पर बहुत सीमित तरीके से जांच की जा रही थी। लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा बिजनेस ऑडिट में विलम्ब एवं जीएसटी विवरणी प्रस्तुत न करने वालों व विलम्ब से प्रस्तुत करने वालों पर कार्रवाई का अभाव देखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गए 605 उच्च मूल्य डेटा मिसमैच/विसंगतियों के लेखापरीक्षा नमूने में से 323 प्रकरण, जो 53.39 प्रतिशत थे, में ₹ 272.59 करोड़ के राजस्व प्रभाव के साथ स्पष्ट अनुपालना की कमियां पाई गईं। जोखिम मापदंडों जैसे कि अधिक आईटीसी का लाभ लिया जाना, कर योग्य मूल्य की कम घोषणा व आरसीएम पर आईटीसी का अधिक लाभ आदि में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई। जबकि डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण 10.41 प्रतिशत प्रकरणों में मिसमैच/विसंगतता रही, 4.96 प्रतिशत प्रकरणों में विभाग द्वारा पूर्व में ही अग्र सक्रिय कार्रवाई कर ली गई थी। 104 प्रकरणों, जो 17.19 प्रतिशत थे, में (₹364.64 करोड़ के अंतर्निहित विचलन) संबंधित वृत्त अधिकारियों को विभाग द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मिसमैचों की जांच करने एवं अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

जीएसटी विवरणियों की विस्तृत लेखापरीक्षा में भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालनाऐं थी। प्रारंभ में, 100 करदाताओं के नमूने में से 53 प्रकरणों में वित्तीय विवरण, तुलन पत्र एवं 2ए आदि जैसे आवश्यक आधारभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा अन्य 10 प्रकरणों में करदाता के संबंधित अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जिससे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र सीमित रहा। लेखापरीक्षा के दौरान इन प्रकरणों में आईटीसी लाभ एवं कर भुगतान में ₹ 244.85 करोड़ के मिसमैच/विसंगतियों की

जांच नहीं की जा सकी। 47 प्रकरणों में से, जिनकी या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से लेखापरीक्षा की गई थी, लेखापरीक्षा में ₹ 284 करोड़ के राजस्व प्रभाव के साथ 302 अनुपालना संबंधी कमियां देखीं गई। मुख्य कारणों में अपात्र एवं अनियमित आईटीसी का लाभ लिया जाना, कर देयता का निर्वहन न करना, ब्याज का भुगतान न करना आदि थे।

अनुपालना संबंधी कमियों की महत्वपूर्ण दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को इन प्रकरणों के अवधिपार होने से पूर्व ही सुधारात्मक उपाय आरम्भ करने चाहिए। एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को विवरणी प्रस्तुतीकरण, करदाता अनुपालना, कर भुगतान, पंजीकरण रद्द करने एवं बकायादारों से बकाया राशि की वसूली पर प्रभावी निरीक्षण स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।